

<p>Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2:- The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F.No. M-28011/9/2018-IP&MC]

NAVIN KUMAR RAJAK, Under Secy.

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जून, 2024

सा.का.नि. 84.—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 457 के साथ पठित धारा 344ड, 344ढ, 344थ, 344द, 344ध और 344न द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा अभिसमय के उपबंधों के संबंध में, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.- जब तक अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, ये नियम निम्नलिखित को लागू होंगे-

(क) अपने प्रकार को ध्यान दिए बिना किसी भारतीय पोत को वह जहां भी हो,

परन्तु इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आवेदन का निर्धारण अनुसूची-I के अनुसार किया जाएगा;

(ख) धारा 344ज की उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भारतीय के पोत के सिवाय किसी पोत को किसी भारतीय पत्तन या किसी भारतीय अपतटीय सुविधा या लंगर स्थान पर बुलाना ; या

(ग) किसी भारतीय पत्तन सुविधा के लिए।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "संपरीक्षा" से वस्तुनिष्ठ साक्ष्य प्राप्ति द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या पत्तन सुविधा संबंधी या पोत से संबंधित क्रियाकलापों का मानदंड के रूप में अनुमोदित सुरक्षा योजना पर विचार करते हुए सुरक्षा अभिसमय की लागू अपेक्षा का अनुपालन किया गया है, व्यवस्थित और स्वतंत्र सत्यापन की रीति या प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(ग) "लेखापरीक्षक" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त एक सर्वेक्षणकर्ता या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन का एक सर्वेक्षणकर्ता जिसके पास नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अर्हता और अनुभव है, अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान" का वही अर्थ होगा जो वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक), नियम, 2014 के नियम 4 के खंड (8) में उनका है ;

(ङ) "कंपनी सुरक्षा अधिकारी" से निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है -

(i) पोत सुरक्षा निर्धारण;

- (ii) पोत सुरक्षा योजना का विकास और अनुमोदन के लिए ऐसी योजना प्रस्तुत करना;
- (iii) पोत सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन;
- (iv) पोत सुरक्षा का रखरखाव; और
- (v) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क;

(च) "संविदा करने वाली सरकार" से किसी भी देश की ऐसी सरकार अभिप्रेत है, जो सुरक्षा अभिसमय द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत हो;

- (छ) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 3 के खंड (8) में परिभाषित पोत परिवहन महानिदेशक अभिप्रेत है;
- (ज) "अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र" से नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इन नियमों या अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के अनुसार जारी किया गया हो, अभिप्रेत है ;
- (झ) "व्यापारिक समुद्री विभाग" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित व्यापारिक समुद्री विभाग अभिप्रेत है;
- (ञ) "तेल टैंकर" से मुख्य रूप से अपने कार्गो स्थानों में थोक में तेल ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित पोत अभिप्रेत है और इसमें संयोजन वाहक शामिल हैं;
- (ट) "पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति" से नियम 19 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;
- (ठ) "पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण" से नियम 17 के अनुसार किया गया पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण अभिप्रेत है;
- (ड) "पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी" से पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के विकास, कार्यान्वयन, पुनरीक्षण और रखरखाव और पोत सुरक्षा अधिकारियों और कंपनी सुरक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ढ) "पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना" से पत्तन सुविधा और पोत, व्यक्तियों, कार्गो, कार्गोपरिवहन इकाइयों और सुरक्षा घटना के जोखिम से पत्तन सुविधा के भीतर पोत के भंडार के संरक्षण के लिए डिज़ाइन किए गए उपायों के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने की योजना अभिप्रेत है ;
- (ण) "मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 344ट के खंड (च) में है;
- (त) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (थ) "सुरक्षा घटना" से किसी पोत की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई भी संदिग्ध कार्य या परिस्थिति अभिप्रेत है, जिसमें मोबाइल अपतटीय ट्रिलिंग इकाई और हाई-स्पीड क्राफ्ट या पत्तन सुविधा या किसी पोत या पत्तन इंटरफ़ेस, या किसी पोत-से-पोत गतिविधि शामिल है;
- (द) "सुरक्षा स्तर 1" से वह स्तर अभिप्रेत है जिसके लिए न्यूनतम उपयुक्त सुरक्षात्मक सुरक्षा उपाय हर समय बनाए रखे जाएंगे;
- (ध) "सुरक्षा स्तर 2" से वह स्तर अभिप्रेत है जिसके लिए सुरक्षा घटना के बढ़ते जोखिम के परिणामस्वरूप उचित अतिरिक्त सुरक्षात्मक सुरक्षा उपाय कुछ समय के लिए बनाए रखे जाएंगे ;
- (न) "सुरक्षा स्तर 3" से वह स्तर अभिप्रेत है जिसके लिए आगे विशिष्ट सुरक्षा उपाय सीमित समय के लिए बनाए रखे जाएंगे जब कोई सुरक्षा घटना संभावित या आसन्न हो, हालांकि विशिष्ट लक्ष्य की पहचान करना संभव नहीं हो सकता है;

(प) "पोत" में पोत, मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाइयां, हाई स्पीड क्राफ्ट, फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज और ऑफलोडिंग, फ्लोटिंग भंडारण और रीगैसिफिकेशन इकाई शामिल हैं।"

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "जलयान" पद में समुद्री पर्यावरण में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने में सक्षम जल शिल्प का प्रत्येक विवरण शामिल होगा, जैसे कि पोत, नाव, नौकायन जलयान, मछली पकड़ने का जलयान, सबमर्सिबल, अर्ध-सबमर्सिबल, हाइड्रोफॉइल, गैर-विस्थापन शिल्प, उभयचर शिल्प, विंग-इन-ग्राउंड शिल्प, प्लेसर शिल्प, बार्ज, लाइटर, मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाइयां, मोबाइल अपतटीय इकाइयां, या कोई अन्य विवरण, चाहे वह प्रणोदन के यांत्रिक साधनों से युक्त हो या नहीं।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो इनका क्रमशः अधिनियम के भाग 9ख या अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता, या सुरक्षा अभिसमय में है।

4. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का उत्तरदायित्व.—नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्: -

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पोत सुरक्षा निर्धारण, पोत सुरक्षा योजना, पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण और पत्तन सुविधा सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सुरक्षा संवेदनशील सामग्री के अनधिकृत प्रकटीकरण या पहुंच के लिए और व्यक्तिगत मूल्यांकन या योजना के लिए उचित उपाय किए गए हैं,

(ख) पोत के लिए लागू सुरक्षा स्तर का ज्ञान;

(ग) पत्तन के लिए लागू सुरक्षा स्तर का पता लगाना;

(घ) पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण का संचालन करना ;

(ङ) पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण रिपोर्ट या उसमें किसी भी संशोधन को अनुमोदित करना ;

(च) पोत सुविधा सुरक्षा योजना या उसके किसी संशोधन का अनुमोदन करना ;

(छ) सुरक्षा अभिसमय के विनियमन 11-2/9 के अनुसरण में नियंत्रण और अनुपालन उपायों का प्रयोग करना ;

(ज) सुरक्षा की घोषणा के लिए अपेक्षाओं को स्थापित करना ;

(झ) अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए किसी सुरक्षा उल्लंघन की घटना और सुसंगत शमन रीति के संबंध में जानकारी संसूचित करना और इसे पब्लिक डोमेन में रखना।

5. प्रतिभूति की घोषणा - (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारित करेगा कि कब जोखिम, पोत या पत्तन इंटरफेस, या शिप टू शिप गतिविधि, व्यक्तियों के लिए पीओएस, संपत्ति या पर्यावरण का निर्धारण करते हुए सुरक्षा की घोषणा की आवश्यकता है।

(2) एक पोत निम्नलिखित परिस्थितियों में सुरक्षा की घोषणा को पूरा करने का अनुरोध कर सकता है, अर्थात्: -

(क) पोत पत्तन सुविधा की तुलना में उच्च सुरक्षा स्तर पर काम कर रहा है, या जिस अन्य पोत के साथ वह इंटरफेस कर रहा है; या

(ख) उन यात्राओं पर कुछ अंतरराष्ट्रीय यात्राओं या विशिष्ट पोत को कवर करने वाली सरकारों के बीच सुरक्षा की घोषणा पर एक समझौता है; या

(ग) पोत या पत्तन सुविधा को शामिल करते हुए, जैसा लागू हो, सुरक्षा खतरा या सुरक्षा घटना हुई है; या

- (घ) पोत एक पत्तन पर है जिसे अनुमोदित पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के लिए और लागू करने की आवश्यकता नहीं है; या
- (ङ) पोत का अन्य पोत के साथ पोत से पोत क्रियाकलापों को संचालित करने लिए अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना की अपेक्षा और क्रियान्वयन नहीं है।
- (3) सुरक्षा की घोषणा को पूरा करने के लिए किसी अनुरोध को अनुसूची - III में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार लागू पत्तन सुविधा या पोत द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- (4) प्रतिभूति की घोषणा निम्नलिखित द्वारा पूरी की जाएगी-
- (क) पोत की ओर से मास्टर या पोत सुरक्षा अधिकारी द्वारा; और
- (ख) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी या, यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अन्यथा निर्धारित करता है, तो पत्तन सुविधा की ओर से तटवर्ती सुरक्षा के लिए उत्तरदायी किसी अन्य निकाय द्वारा।
- (5) सुरक्षा की घोषणा सुरक्षा अपेक्षाओं को संबोधित करेगी कि पत्तन सुविधा और पोत के बीच या पोतों के बीच साझा की जा सकती हैं, और प्रत्येक के लिए उत्तरदायित्व का उल्लेख करेगी।
- (6) पोतों को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा की घोषणा का रिकॉर्ड रखना होगा।
- (7) सुरक्षा स्तर में बदलाव के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि सुरक्षा की एक नई या पुनरीक्षित घोषणा पूरी की जाए।
- (8) सुरक्षा की घोषणा अंग्रेजी में पूरी की जाएगी।
- 6. कंपनी का दायित्व -** प्रत्येक कंपनी निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करेगी, अर्थात्: -
- (क) यह सुनिश्चित करना कि पोत सुरक्षा योजना में मास्टर के प्राधिकार पर जोर देने वाला स्पष्ट विवरण है;
- (ख) पोत सुरक्षा योजना में यह उपबंध करना कि मास्टर के पास पोत की सुरक्षा और सुरक्षा के संबंध में निर्णय लेने और कंपनी या किसी अनुबंध सरकार या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सहायता का अनुरोध करने का प्राधिकार और उत्तरदायित्व है, जैसा कि आवश्यक हो;
- (ग) कंपनी सुरक्षा अधिकारी का पदनाम; तथा
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी सुरक्षा अधिकारी, मास्टर और पोत सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा अभिसमय के अनुसार अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है।
- 7. मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन का दायित्व.—** मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन इन नियमों के प्रयोजनों के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा।
- 8. पोत सुरक्षा .—** (1) प्रत्येक पोत नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सुरक्षा स्तरों पर कार्य करेगा।
- (2) सुरक्षा घटनाओं की पहचान और सुरक्षात्मक उपायों को करने के लिए सभी पोतों पर सुरक्षा स्तर 1 पर उचित उपायों के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियां की जाएंगी, अर्थात्: -
- (क) सभी पोत सुरक्षा कर्तव्यों का निष्पादन सुनिश्चित करना;
- (ख) पोतों पर पहुंच को नियंत्रित करना;
- (ग) व्यक्तियों के आरोहण और उनके प्रभावों को नियंत्रण करना;
- (घ) यह प्रतिबंधित क्षेत्रों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि केवल प्राधिकृत व्यक्तियों की ही पहुंच हो ;

(ड) पोत के डैक क्षेत्रों तथा सभी ओर के क्षेत्रों की निगरानी करना ;

(च) पोत में कार्गो और स्टोर की हैंडलिंग की निगरानी करना; तथा

(छ) सुनिश्चित करें कि सुरक्षा संचार आसानी से उपलब्ध है।

(3) पोत सुरक्षा योजना में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायों को उप नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक विस्तृत उपाय के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में मार्गदर्शन और इस निमित्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा स्तर 2 पर क्रियान्वित किया जाएगा।

(4) पोत सुरक्षा योजना में विनिर्दिष्ट विशिष्ट सुरक्षा उपायों को उप नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक विस्तृत उपाय के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में मार्गदर्शन और उचित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा स्तर 3 पर क्रियान्वित किया जाएगा जो इस निमित्त पोत या पत्तन के लिए सुरक्षा स्तर 3 को हैंडल करने के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

(5) जब भी सुरक्षा स्तर 2 या सुरक्षा स्तर 3 स्थापित किया जाता है, तो पोत सुरक्षा स्तर में परिवर्तन पर निर्देशों की प्राप्ति को स्वीकार करेगा।

(6) पत्तन में प्रवेश करने से पहले, या पत्तन में या भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, जहां सुरक्षा स्तर 2 या सुरक्षा स्तर 3 स्थापित है, पोत निर्देश की प्राप्ति को स्वीकार करेगा और पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी को इसकी पुष्टि करेगा, पोत सुरक्षा योजना में यथा वर्णित उचित उपायों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को आरंभ करेगा और सुरक्षा स्तर 3 के मामले में, पोत नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में उन्हें करेगा।

(7) पोत कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई की रिपोर्ट करेगा, और ऐसे मामलों में, पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी और पोत सुरक्षा अधिकारी उचित कार्रवाइयों के साथ संपर्क और समन्वय करेंगे।

(8) जहां नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी पोत को स्थापित करना अपेक्षित है, या पहले से ही उस पत्तन के लिए उस स्थापित पोत की तुलना में उच्च सुरक्षा स्तर पर है, उसमें जो पहले से ही स्थित है, उसमें वह प्रवेश करने का आशय रखता है तब पोत ऐसी स्थिति में बिना किसी देरी के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी सूचित करेगा:

परंतु ऐसे मामलों में, पोत सुरक्षा अधिकारी पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के साथ संपर्क करेगा और जहां आवश्यक हो, उचित कार्यों का समन्वय करेगा।

(9) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपेक्षा करने वाले भारतीय पोतों पर अन्य सरकार के पत्तन में सुरक्षा स्तर 2 या सुरक्षा स्तर 3 को स्थापित करने के लिए बिना किसी देरी के सरकार को सूचित करेगा।

(10) जहां पदाभिहित प्राधिकारी सुरक्षा स्तर निर्धारित करता है और भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र में परिचालित होने वाले या अपने राज्यक्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश करने के आशय की सूचना देने वाले पोतों को सुरक्षा स्तर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है, ऐसे पोतों को सतर्कता बनाए रखने और पदाभिहित प्राधिकारी और किसी निकट देश को, किसी ऐसी सूचना, जो उनको जानकारी में आती है, जो उस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, की तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी जाएगी :

परंतु पदाभिहित प्राधिकारी, ऐसे पोतों को लागू सुरक्षा स्तर की सलाह देते समय, उन पोतों को किन्हीं सुरक्षा उपायों, जो वे करेंगे, और, जहां समुचित हो, उन उपायों, जो पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा धमकी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए किये गए हैं, के बारे में भी सलाह देगा।

9. पोत सुरक्षा निर्धारण--(1) कंपनी सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के बेड़े में प्रत्येक पोत के लिए पोत सुरक्षा निर्धारण किया जाए।

(2) कंपनी सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पोत सुरक्षा निर्धारण, पोत की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए समुचित कौशल वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाए।

(3) कोई मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन किसी विनिर्दिष्ट पोत का पोत सुरक्षा निर्धारण कर सकेगा।

(4) पोत सुरक्षा निर्धारण में गैर-दृश्य सुरक्षा सर्वेक्षण सम्मिलित होगा और, कम से कम, निम्नलिखित तत्वों को सत्यापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) विद्यमान सुरक्षा उपायों, प्रक्रियाओं और प्रचालनों की पहचान ;

(ख) मुख्य पोत बोर्ड प्रचालनों की पहचान और मूल्यांकन, जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं ;

(ग) सुरक्षा उपायों को स्थापित करने और प्राथमिकता देने के लिए मुख्य पोत बोर्ड प्रचालनों के लिए संभावित खतरों और उनके घटित होने की संभावना की पहचान ; और

(घ) कमजोरियों, जिसके अंतर्गत अवसंरचना, नीतियों और प्रक्रियाओं में मानवीय कारक भी हैं, की पहचान।

(5) पोत सुरक्षा निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।

(6) पोत को सेवा में लगाने से पहले प्रारंभिक पोत सुरक्षा निर्धारण किया जाएगा।

(7) पोत सुरक्षा निर्धारण तब किया जाएगा, जब पदाभिहित प्राधिकारी आवश्यक समझे।

(8) पोत सुरक्षा निर्धारण का दस्तावेजीकरण, पुनरीक्षण, स्वीकार किया जाना और प्रतिधारण कंपनी द्वारा किया जाएगा।

10. पोत सुरक्षा योजना--(1) प्रत्येक पोत, पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना रखेगा :

परंतु ऐसी योजनाएं, इन नियमों और अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता में दिए गए सुरक्षा स्तर 1, 2 और 3 के लिए उपबंध करेंगी।

(2) पोत सुरक्षा योजना या उसमें संशोधन का पुनरीक्षण करने वाला मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन, पुनरीक्षण के अधीन ना तो पोत सुरक्षा निर्धारण या पोत सुरक्षा योजना तैयार करने में, और ना ही उसका संशोधन करने में सम्मिलित होगा।

(3) अनुमोदन के लिए पोत सुरक्षा योजना या पूर्व-अनुमोदित योजना में संशोधनों के प्रस्तुतिकरण के साथ ऐसे सुरक्षा निर्धारण भी संलग्न होंगे, जिसके आधार पर योजना तैयार या संशोधन की गई है।

(4) पोत सुरक्षा योजना, अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तैयार और विकसित की जाएगी तथा इसे अंग्रेजी और पोत की कामकाजी भाषा या भाषाओं में लिखा जाएगा।

(5) पोत सुरक्षा योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :--

(क) जनसाधारण, पोतों या पत्तनों के विरुद्ध प्रयोग के लिए आशयित हथियारों, खतरनाक पदार्थों और युक्तियों, जिनका पोत से बहन किया जाना प्राधिकृत नहीं है, के निवारण के लिए परिकल्पित उपाय ;

(ख) निर्बंधित क्षेत्रों की पहचान और अनधिकृत पहुंच के निवारण के उपाय ;

(ग) पोत तक अनधिकृत पहुंच के निवारण के लिए उपाय ;

- (घ) सुरक्षा खतरों या सुरक्षा भंग के प्रत्युत्तर के लिए प्रक्रियाएं, जिसमें पोतों के प्रचालन या पोत या पत्तन इंटरफ़ेस के महत्वपूर्ण प्रचालनों को बनाए रखने के उपबंध भी हैं ;
- (ङ) किन्हीं सुरक्षा अनुदेशों, जो पदाभिहित प्राधिकारी सुरक्षा स्तर 3 पर दे सकता है, के प्रत्युत्तर के लिए प्रक्रिया ;
- (च) सुरक्षा के खतरे या सुरक्षा के उल्लंघन के मामले में निकासी के लिए प्रक्रियाएं ;
- (छ) पोत बोर्ड कर्मियों के कर्तव्य, सौंपी गई सुरक्षा जिम्मेदारियां और पोत बोर्ड कर्मियों के सुरक्षा पहलू ;
- (ज) अनुसूची-4 के अनुसार सुरक्षा क्रियाकलापों की संपरीक्षा के लिए प्रक्रियाएं ;
- (झ) पोत सुरक्षा योजना से सहबद्ध प्रशिक्षण, ड्रिल और अभ्यास के लिए प्रक्रियाएं ;
- (ञ) पत्तन सुविधा सुरक्षा क्रियाकलापों के साथ इंटरफ़ेस के लिए प्रक्रियाएं ;
- (ट) पोत सुरक्षा योजना का कालिक पुनर्विलोकन और अद्यतन करने की प्रक्रिया ;
- (ठ) सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाएं ;
- (ड) पोत सुरक्षा अधिकारी की पहचान ;
- (ढ) चौबीस घंटे के संपर्क व्यौरों के साथ, कंपनी सुरक्षा अधिकारी की पहचान ;
- (ण) अनुसूची-2 के अनुसार फलक पर प्रदत्त किसी सुरक्षा उपस्कर के निरीक्षण, परीक्षण, अंशांकन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं ;
- (त) फलक पर प्रदत्त किसी भी सुरक्षा उपस्कर, यदि कोई हो, के परीक्षण या अंशांकन की आवृत्ति ;
- (थ) उन स्थानों की पहचान, जहां पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली सक्रियण बिंदु प्रदान किए जाते हैं ; और
- (द) पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली के प्रयोग के लिए प्रक्रियाएं, अनुदेश और मार्गदर्शक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मिथ्या चेतावनियों को सीमित करने के लिए परीक्षण, सक्रियण, निष्क्रियता और विन्यास भी हैं ।

(6) पोत सुरक्षा योजना में विनिर्दिष्ट सुरक्षा क्रियाकलापों की आंतरिक संपरीक्षा करने वाले या ऐसी योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने वाले कार्मिक, संपरीक्षा किए जाने वाले क्रियाकलापों से स्वतंत्र होंगे, जब तक यह कंपनी या पोत के आकार और प्रकृति के कारण अव्यवहार्य न हो ।

(7) अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना या अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट किसी भी सुरक्षा उपस्कर में कोई परिवर्तन तब तक कार्यान्वित नहीं होगा, जब तक पोत सुरक्षा योजना से सुसंगत संशोधन पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए हों, और ऐसे कोई परिवर्तन कम से कम अभिसमय तथा अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता में विनिर्दिष्ट उपायों के समान प्रभावी होंगे ।

(8) पोत सुरक्षा योजना या सुरक्षा उपस्कर में परिवर्तन की प्रकृति, जिसे पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया गया है, ऐसी रीति में प्रलेखित की जाएगी, जो ऐसे अनुमोदन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करती हो

और ऐसे अनुमोदन फलक पर उपलब्ध कराए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या अंतरिम पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे :

परंतु जहां परिवर्तन अस्थायी है, वहां एक बार मूल अनुमोदित उपाय या उपस्कर पुनःस्थापित कर दिए जाते हैं, पोत द्वारा ऐसे प्रलेखीकरण का पुनःस्थापन अपेक्षित नहीं होगा।

(9) पोत सुरक्षा योजना, इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में रखी जा सकेगी, और ऐसे मामले में, इसकी अनधिकृत पहुंच, विलोपन, विनाश या संशोधन को रोकने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

(10) पोत सुरक्षा योजना को अनधिकृत पहुंच या प्रकटीकरण से संरक्षित किया जाएगा।

(11) उपनियम (12) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन रहते हुए, पोत सुरक्षा योजनाएं, सुरक्षा अभिसमय तथा अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता के अनुसार नियंत्रण और अनुपालन उपाय करने के लिए पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अध्यक्षीन नहीं होंगी।

(12) जहां पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने के स्पष्ट आधार हैं कि पोत ने अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, और अननुपालन को सत्यापित या पुष्ट करने का एकमात्र साधन पोत सुरक्षा योजना की सुसंगत अपेक्षाओं का पुनरीक्षण करना है, अननुपालन से संबंधित पोत सुरक्षा योजना के विनिर्दिष्ट भाग तक सीमित पहुंच संविदाकारी सरकार या संबद्ध पोत के मास्टर की पूर्व अनुमति से अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु उपनियम (5) की मद (ख), मद (घ), मद (ङ), मद (छ), मद (ण), मद (थ) और मद (द) से संबंधित पोत सुरक्षा योजना के उपबंधों को गोपनीय सूचना समझा जाएगा और वह तब तक निरीक्षण के अध्यक्षीन नहीं होगी, जब तक संविदाकारी सरकार अन्यथा सहमत न हो।

11. पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली--(1) सभी भारतीय रजिस्ट्रीकृत पोतों में पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली का निम्नानुसार उपबंध किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) 1 जुलाई 2004 के पश्चात् विनिर्मित पोतों में ;

(ख) 1 जुलाई 2004 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के पश्चात् रेडियो संस्थापन के प्रथम सर्वेक्षण के अपश्चात् विनिर्मित यात्री पोतों में, जिनके अंतर्गत उच्च गति वाले यात्री यान भी हैं ;

(ग) 1 जुलाई 2004 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के पश्चात् रेडियो संस्थापन के प्रथम सर्वेक्षण के अपश्चात् विनिर्मित, 500 टन सकल भार और उससे अधिक के तेल टैंकर, रसायन टैंकर, गैस वाहक, थोक वाहक और उच्च गति स्थौरा यान में ; और

(घ) 1 जुलाई 2004 से पूर्व और 1 जुलाई 2006 के पश्चात् रेडियो संस्थापन के प्रथम सर्वेक्षण के अपश्चात् विनिर्मित, 500 सकल टन भार और उससे अधिक के अन्य स्थौरा पोत और गतिशील अपटतीय वेधन इकाइयों में।

(2) सक्रिय होने पर पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली--

(क) संबंधित कंपनी और पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा पदाभिहित केंद्र को जहाज-से-किनारे तक सुरक्षा चेतावनी प्रारंभ और पारेषित करेगी, जो जहाज, उसके स्थान की पहचान करेगा और उपदर्शित करेगा कि पोत की सुरक्षा खतरे में है या नहीं, इसके साथ समझौता किया गया है;

(ख) किसी अन्य पोत को पोत सुरक्षा चेतावनी नहीं भेजेगी;

- (ग) पोत के फलक पर कोई चेतावनी नहीं देगी; और
- (घ) निष्क्रिय या रीसेट होने तक पोत सुरक्षा चेतावनी जारी रखेगी।
- (3) पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली -
- (क) नेविगेशन ब्रिज से और कम से कम एक अन्य स्थान से सक्रिय होने में सक्षम होगी और पावर ब्रेकअप के साथ सुरक्षित डिब्बे में लगायी जाएगी; और
- (ख) उन पालन मानकों जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अंगीकृत किए गए हैं, के अनुरूप होगी, उनसे कम नहीं होगी।
- (4) पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली सक्रियण बिंदुओं को इस तरह से परिकल्पित किया जाएगा कि पोत सुरक्षा चेतावनी की अनजानी शुरुआत को रोका जा सके।
- (5) जब भारतीय रजिस्ट्रीकृत पोत से कोई चेतावनी प्राप्त होती है, तो पदाभिहित प्राधिकारी सुरक्षा स्थिति से निपटने के लिए पोत स्वामी या कंपनी सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा अभिकरण से संपर्क करेगा।
- (6) किसी भारतीय पोत से पोत सुरक्षा चेतावनी की अधिसूचना प्राप्त होने पर, पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा पदाभिहित केंद्र, यदि पोत भारत से बाहर है, तो उन तटीय राज्यों जिनके समीप संबंधित पोत संचालित हो रहा है, को अधिसूचित करेगा।
12. **अभिलेख.-** (1) पोत सुरक्षा योजना में सम्मिलित निम्नलिखित क्रियाकलापों के अभिलेख को कम से कम तीन वर्ष की अवधि या वह अवधि जो सुरक्षा अभिसमय को ध्यान में रखते हुए पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए फलक पर रखा जाएगा:
- (क) प्रशिक्षण, ड्रिल और अभ्यास;
- (ख) सुरक्षा खतरे और सुरक्षा घटनाएं;
- (ग) सुरक्षा भंग;
- (घ) सुरक्षा स्तर में परिवर्तन;
- (ङ) पोत की प्रत्यक्ष सुरक्षा से संबंधित संसूचनाएं जैसा कि पोत या पत्तन सुविधाओं के लिए विनिर्दिष्ट खतरा है, या रहा है;
- (च) आंतरिक संपरीक्षा और सुरक्षा क्रियाकलापों का पुनरीक्षण;
- (छ) पोत सुरक्षा निर्धारण का कालिक पुनरीक्षण;
- (ज) पोत सुरक्षा योजना का कालिक पुनरीक्षण;
- (झ) योजना में किन्हीं संशोधनों का कार्यान्वयन; और
- (ञ) सुरक्षा उपस्करों का रखरखाव, अंशांकन और परीक्षण, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली का परीक्षण भी है।

- (2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अभिलेख अंग्रेजी और पोत की कामकाजी भाषा में रखे जाएंगे।
- (3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखे जा सकेंगे और ऐसे मामले में, उन्हें उनके अनधिकृत विलोपन, विनाश या संशोधन को रोकने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं द्वारा संरक्षित किया जाएगा।
- (4) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अभिलेख को अनधिकृत पहुंच या प्रकटीकरण से संरक्षित किया जाएगा।

13. कंपनी सुरक्षा अधिकारी.-- (1) प्रत्येक कंपनी एक या एक से अधिक कंपनी सुरक्षा अधिकारी को पदाभिहित करेगी।

(2) कंपनी सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदाभिहित व्यक्ति, उन पोतों की संख्या या प्रकार पर निर्भर करते हुए, जिनका कंपनी प्रचालन करती है, एक या अधिक पोतों के लिए कंपनी सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा है:

परंतु ऐसे मामले में, यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जाएगा कि कंपनी सुरक्षा अधिकारी किन पोतों के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) कंपनी सुरक्षा अधिकारी, निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता रखेगा: -

(क) 500 टन सकल भार से ऊपर के पोतों वाली कंपनी के लिए वाणिज्यिक समुद्री पृष्ठभूमि वाला प्रबंधन स्तरीय सक्षमता (विदेश गमन) प्रमाण पत्र; और

(ख) अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से कंपनी सुरक्षा अधिकारी प्रमाणपत्र:

परंतु कंपनी के पास 500 टन सकल भार से कम के पोत होने की स्थिति में, कंपनी सुरक्षा अधिकारी के पास प्रचालन स्तरीय सक्षमता (विदेश गमन) प्रमाण पत्र के साथ वाणिज्यिक पोतों का अनुभव होना चाहिए और उसके पास अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से कंपनी सुरक्षा अधिकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(4) कंपनी सुरक्षा अधिकारी, निम्नलिखित कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करेगा, अर्थात्: -

(क) समुचित सुरक्षा निर्धारण और सुसंगत जानकारी का उपयोग करके पोत द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित खतरों के स्तर पर सलाह देना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि पोत सुरक्षा निर्धारण किया गया है;

(ग) विकास सुनिश्चित करना, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना, और उसके पश्चात् पोत सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना और इसे व्यष्टि पोत पर रखना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि यथोचित रूप से पोत की सुरक्षा योजना की खामियों को ठीक करने के लिए और व्यष्टिक पोत की सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपांतरित किया गया है ;

(ङ) सुरक्षा कार्यकलापों की आंतरिक संपरीक्षा और पुनर्विलोकन का इंतजाम करना ;

(च) पदाभिहित प्राधिकरण या मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा पोत के प्रारंभिक और पश्चातवर्ती सत्यापनों का इंतजाम करना ;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि आंतरिक संपरीक्षाओं, आवधिक पुनर्विलोकनों, सुरक्षा निरीक्षणों के दौरान पहचान की गई खामियों और अननुपालनाओं और अनुपालना के सत्यापन पर तुरंत ध्यान दिया जाता है और उनसे निपटा जाता है ;

(ज) सुरक्षा जागरूकता और सतर्कता में वृद्धि करना ;

(झ) पोत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी कार्मिकों के पर्याप्त प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना ;

- (ज) पोत सुरक्षा अधिकारी और सुसंगत पोत प्रसुविधा सुरक्षा अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार और सहयोग को सुनिश्चित करना ;
- (ट) सुरक्षा अपेक्षाओं और रक्षा अपेक्षाओं के बीच सतता को सुनिश्चित करना ; और
- (ठ) यह सुनिश्चित करना कि किसी विशिष्ट पोत या पोतों के समूह के लिए अनुमोदित वैकल्पिक या समतुल्य इंतजामों को कार्यान्वित किया जाता है और अनुरक्षित किया जाता है ।

14. पोत सुरक्षा अधिकारी—(1) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से पोत सुरक्षा अधिकारी प्रमाणपत्र धारण करने वाला प्रबंध स्तरीय पोत अधिकारी को कंपनी द्वारा पोत सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा ।

(2) पोत सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :--

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुचित सुरक्षा उपायों का अनुरक्षण किया जा रहा है, पोत का नियमित सुरक्षा निरीक्षण करना ;
- (ii) पोत सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन का अनुरक्षण और पर्यवेक्षण, जिसके अंतर्गत योजना में कोई संशोधन सम्मिलित हैं ;
- (iii) पोत में स्थोरा भंडार के हस्तालन के सुरक्षा परिप्रेक्ष्यों का पोत पर अन्य कार्मिकों के साथ और सुसंगत पत्तन प्रसुविधा अधिकारियों के साथ समन्वय करना ;
- (iv) पोत सुरक्षा योजना में उपांतरणों का प्रस्ताव करना ;
- (v) कंपनी सुरक्षा अधिकारी को प्रारंभिक संपरीक्षाओं, आवधिक पुनर्विलोकनों, सुरक्षा निरीक्षणों के दौरान पहचान की गई खामियों और अननुपालनों तथा किसी सुधारकारी कार्रवाईयों के कार्यान्वयन की अनुपालना का सत्यापन ;
- (vi) पोत के फलक पर सुरक्षा जागरुकता और सतर्कता में वृद्धि ;
- (vii) यह सुनिश्चित करना कि पोत के फलक पर कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण, जैसा कि उपयुक्त हो, प्रदान किया जाता है ;
- (viii) सुरक्षा संबंधी सभी घटनाओं की रिपोर्ट करना ;
- (ix) पोत सुरक्षा अधिकारी और सुसंगत पोत प्रसुविधा सुरक्षा अधिकारी के बीच पोत सुरक्षा योजना का समन्वय और कार्यान्वयन करना ; और
- (x) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा उपस्कर को उचित रूप से प्रचारित किया जाता है, जांच की जाती है, अंशाकन किया जाता है और अनुरक्षित किया जाता है, यदि कोई हो ।

15. पोत सुरक्षा पर प्रशिक्षण, कवायद और अभ्यास—(1) अपतट आधारित कार्मिक के पास अंतर्राष्ट्रीय पोत और पोत प्रसुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में दिए गए उपबंधों को गणना में लेते हुए किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से कंपनी सुरक्षा अधिकारी प्रमाणपत्र होगा ।

(2) कंपनी सुरक्षा अधिकारी के पास अंतर्राष्ट्रीय पोत और पोत प्रसुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में दिए गए उपबंधों को गणना में लेते हुए किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से कंपनी सुरक्षा अधिकारी प्रमाणपत्र होगा ।

(3) पोत के फलक के कार्मिकों के विशिष्ट सुरक्षा कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे और उन्हें पोत सुरक्षा योजना में यथा वर्णित पोत सुरक्षा के उत्तरदायित्वों की समझ होगी तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पोत और पोत प्रसुविधा सुरक्षा संहिता के

भाग ख में दिए गए दिशानिर्देशों को गणना में लेते हुए उन्हें समनुदेशित कर्तव्यों के निष्पादन की पर्याप्त जानकारी और योग्यता होगी।

(4) पोत सुरक्षा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम तीन मास के अंतराल पर पोत की किस्म, पोत कार्मिक परिवर्तन, भ्रमण की जाने वाली पोत प्रसुविधाओं और अन्य सुसंगत परिस्थितियों, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पोत और पोत प्रसुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में दिए गए मार्गनिर्देश सम्मिलित हैं, को गणना में लेते हुए कवायद की जाएगी।

(5) कंपनी सुरक्षा अधिकारी उपयुक्त अंतरालों पर पोत और पोत प्रसुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में दिए गए दिशानिर्देशों को गणना में लेते हुए अभ्यासों में भाग लेकर पोत सुरक्षा योजनाओं को कार्यान्वित करने को सुनिश्चित करेगा।

16. पोत प्रसुविधा सुरक्षा—(1) पत्तन प्रसुविधा पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सुरक्षा स्तरों पर कार्य करेगा।

(2) पत्तन प्रसुविधा पर सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं को ऐसी रीति में लागू किया जाएगा, जो यात्रियों, पोत, पोत पर कार्मिकों और आगंतुकों, माल और सेवाओं के साथ न्यूनतम हस्तक्षेप या विलंब कारित करे।

(3) सभी पत्तन प्रसुविधाओं पर अंतर्राष्ट्रीय पोत और पोत प्रसुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में दिए गए दिशानिर्देशों को गणना में लेते हुए सुरक्षा घटनाओं की पहचान करने और उनके लिए निवारक उपाय करने के लिए सुरक्षा स्तर 1 पर समुचित सुरक्षा उपायों पर निम्नलिखित कार्यकलापों को किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) सभी पत्तन प्रसुविधा कर्तव्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करना ;

(ख) पत्तन प्रसुविधा पर पहुंच का नियंत्रण ;

(ग) पत्तन प्रसुविधा की मानीटरी, जिसके अंतर्गत लंगर डालने वाले और बर्थिंग क्षेत्र भी सम्मिलित हैं ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए निर्बंधित क्षेत्रों की मानीटरी की केवल प्राधिकृत व्यक्तियों की ही पहुंच हो ;

(ङ) स्थोरा के हस्तालन का पर्यवेक्षण ;

(च) पोत पर भंडारों के हस्तालन का पर्यवेक्षण ; और

(छ) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा संचार तुरंत उपलब्ध हो।

(4) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त संरक्षण उपायों को अंतर्राष्ट्रीय पोत और पोत प्रसुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में दिए गए दिशानिर्देशों को गणना में लेते हुए उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कार्यकलाप के लिए सुरक्षा स्तर 2 पर सुरक्षा योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

(5) निम्नलिखित को सुरक्षा स्तर 3 पर कार्यान्वित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) अंतर्राष्ट्रीय पोत और पोत प्रसुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में दिए गए दिशानिर्देशों को गणना में लेते हुए उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कार्यकलाप के लिए पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना में विनिर्दिष्ट विशिष्ट संरक्षा उपायों को कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(ख) पत्तन प्रसुविधाओं से पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले सुरक्षा निदेशों का प्रत्युत्तर देने और कार्यान्वयन करने की अपेक्षा है।

(6) जब किसी पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा अधिकारी को यह परामर्श दिया जाता है कि कोई पोत सुरक्षा अभिसमय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में या पोत सुरक्षा योजना में दिए गए समुचित उपायों और प्रक्रियाओं को कार्यान्वित

करने में और सुरक्षा स्तर 3 की दशा में पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा दिए गए सुरक्षा अनुदेशों का अनुसरण करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा अधिकारी तथा पोत सुरक्षा अधिकारी संपर्क स्थापित करेगा और समुचित कार्रवाई के लिए समन्वय करेगा।

(7) जब किसी पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा अधिकारी को यह परामर्श दिया जाता है कि कोई पोत ऐसे सुरक्षा स्तर पर है, जो पत्तन प्रसुविधा के स्तर से उच्चतर है तो पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा अधिकारी मामले की पदाभिहित प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा और पोत सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करेगा तथा समुचित कार्रवाईयों का समन्वय करेगा, यदि आवश्यक हो तो।

(8) प्रत्येक पत्तन में स्वतंत्र अर्हित और प्रशिक्षित पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा अधिकारी होगा।

17. पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारण—(1) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारण पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना को विकसित करने की और अद्यतन करने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य और अभिन्न भाग है।

(2) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारण किसी अभिहित प्राधिकरण या सभी भारतीय पत्तनों के लिए मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा किया जाएगा :

परंतु पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारण किसी मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा किया जाता है तब ऐसे पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारण का पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसको पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा संहिता का अनुपालन करने के लिए अनुमोदित किया जाएगा।

(3) पदाभिहित प्राधिकारी या मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन किसी सर्वेक्षक को पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारण करने के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) निर्धारण करने वाले व्यक्तियों के पास इस धारा के अनुसार पत्तन प्रसुविधा की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पोत और पोत प्रसुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में दिए गए दिशानिर्देशों को गणना में लेते हुए समुचित कौशल होगा।

(5) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारणों का पत्तन प्रसुविधा में परिवर्तनशील चुनौतियों या गौण परिवर्तनों को गणना में लेते हुए आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और अद्यतन किया जाएगा तथा उनका सदैव तब पुनर्विलोकन किया जाएगा और अद्यतन किया जाएगा जब पत्तन प्रसुविधा में बड़े परिवर्तन होते हैं।

(6) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारण में निम्नलिखित कारकों को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) ऐसी महत्वपूर्ण आस्तियों और अवसंरचनाओं की पहचान और मूल्यांकन, जिनको संरक्षित करना महत्वपूर्ण है;

(ख) आस्तियों और अवसंरचना को संभावित चुनौतियों की पहचान तथा उनको खतरा होने की संभावना ताकि सुरक्षा उपायों को स्थापित और उनकी पूर्विंकता का निर्धारण किया जा सके ;

(ग) प्रति उपायों और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों की पहचान, चयन और पूर्विंकता निर्धारण तथा भेद्यता को कम करने में उनकी प्रभावशीलता का स्तर ; और

(घ) कमजोरियों की पहचान, जिसके अंतर्गत अवसंरचना, नीतियों और प्रक्रियाओं में मानव कारक भी हैं।

(7) पदाभिहित प्राधिकारी किसी पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारण में एक पत्तन प्रसुविधा से अधिक का लाया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, यदि ऐसी पत्तन प्रसुविधाओं का प्रचालक, प्रास्थिति, प्रचालन, उपस्कर और डिजाइन समान हैं।

(8) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारण पूरा होने पर किस प्रकार निर्धारण संचालित किया गया है, निर्धारण के दौरान पाई गई प्रत्येक भेद्यता का विवरण तथा ऐसे प्रति उपायों का विवरण, जो ऐसी भेद्यता को दूर करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, के सारांश को अंतर्वलित करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

(9) उपनियम (8) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट को अप्राधिकृत पहुंच या प्रकटन से संरक्षित किया जाएगा।

18. पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना—(1) प्रत्येक पत्तन विशिष्ट पत्तन प्रसुविधा की पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना तैयार करेगा।

(2) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना को तैयार करने और कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा अधिकारी का होगा।

(3) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना को प्रत्येक पत्तन प्रसुविधा के लिए पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा निर्धारण के आधार पर किया जाएगा, जो संबंधित पोत या पत्तन इंटरफेस के लिए पर्याप्त होगी।

(4) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना सुरक्षा स्तर 1, सुरक्षा स्तर 2 और सुरक्षा स्तर 3 के लिए उपबंध करेगी।

(5) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना को अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(6) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना को अंतर्राष्ट्रीय पोत और पोत प्रसुविधा सुरक्षा संहिता के भाग ख में दिए गए दिशानिर्देशों को गणना में लेते हुए विकसित किया जाएगा और यह अंग्रेजी भाषा होगी।

(7) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :--

(क) लोगों, पोतों या पत्तनों के विरुद्ध प्रयोग किए जाने के लिए आशयित आयुधो या किन्हीं अन्य परिसंकटमय पदार्थों और युक्तियों, जिनका वहन प्राधिकृत नहीं है, को पत्तन प्रसुविधा या किसी पोत के फलक पर ले जाए जाने का निवारण करने के लिए डिजाइन किए गए उपाय ;

(ख) किसी पत्तन प्रसुविधा, किसी प्रसुविधा में लंगर डाले गए पोतों और प्रसुविधा के निर्बंधित क्षेत्रों तक अप्राधिकृत पहुंच का निवारण करने के लिए डिजाइन किए गए उपाय ;

(ग) सुरक्षा को चुनौती या सुरक्षा भंग का प्रत्युत्तर देने के लिए प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पत्तन प्रसुविधा, पोत या पत्तन इंटरफेस पर महत्वपूर्ण प्रचालनों का अनुरक्षण करने के लिए उपबंध सम्मिलित हैं ;

(घ) किसी संविदाकारी सरकार, जिसके राज्यक्षेत्र में प्रसुविधा अवस्थित है, के सुरक्षा अनुदेशों का प्रत्युत्तर देने के लिए प्रक्रियाओं को सुरक्षा स्तर 3 दे सकेगी ;

(ङ) सुरक्षा चुनौतियों या सुरक्षा भंग की दशा में निकासी की प्रक्रिया ;

(च) सुरक्षा उत्तरदायित्व सौंपे गए पत्तन प्रसुविधा कार्मिकों और सुरक्षा परिप्रेक्ष्यों पर अन्य प्रसुविधा कार्मिकों के कर्तव्य ;

(छ) पोत सुरक्षा कार्यकलापों के साथ इंटरफेस करने की प्रक्रियाएं ;

(ज) योजना का आवधिक पुनर्विलोकन और अद्यतन करने की प्रक्रियाएं ;

(झ) सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने की प्रक्रियाएं ;

(ञ) चौबीस घंटे संपर्क ब्यूरो के साथ पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा अधिकारी की पहचान ;

(ट) योजना में अंतर्विष्ट सूचना की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपाय ;

(ठ) स्थोरा और पत्तन प्रसुविधा में स्थोरा उपस्करों के हस्तालन की प्रभावी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए उपाय ;

- (ड) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना की संपरीक्षा के लिए प्रक्रियाएं ;
- (ढ) पत्तन प्रसुविधा पर पोत की सुरक्षा चेतावनी प्रणाली को क्रियाशील होने की दशा में प्रत्युत्तर के लिए प्रक्रियाएं ; और
- (ण) पोत पर कार्मिकों की तटीय छुट्टी या कार्मिकों में परिवर्तन के साथ पोत पर आगंतुकों की पहुंच, जिसके अंतर्गत नाविक कल्याण और श्रम संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, को सुकर बनाने के लिए प्रक्रियाएं ।
- (8) योजना में विनिर्दिष्ट सुरक्षा कार्यकलापों की आंतरिक संपरीक्षा का संचालन करने वाले या उसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने वाले कार्मिक संपरीक्षा किए जा रहे कार्यकलापों से तब तक स्वतंत्र होंगे जब तक कि पत्तन प्रसुविधा के आकार और प्रकृति के कारण ऐसा करना अव्यवहारिक न हो ।
- (9) पदाभिहित प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना में किन परिवर्तनों को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि योजना में सुसंगत संशोधनों को उनके द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है ।
- (10) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना को इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में रखा जा सकेगा और ऐसी दशा में उसको उसके अप्राधिकृत लोप करने, नष्ट करने या संशोधित करने का निवारण करने के लिए लक्षित प्रक्रियाओं द्वारा संरक्षित किया जाएगा ।
- (11) पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना को अप्राधिकृत पहुंच या प्रकटन से संरक्षित किया जाएगा ।
- (12) पदाभिहित प्राधिकारी किसी पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना में एक से अधिक पत्तन प्रसुविधाओं को शामिल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि इन पत्तन प्रसुविधाओं का प्रचालक, अवस्थिति, उपस्कर और डिजाइन समान हों ।
- (13) यदि पत्तन प्रसुविधा सुरक्षा योजना के संबंध में वैकल्पिक इंतजाम अनुज्ञात किया गया है तो उस इंतजाम की विशिष्टियों को पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन को संसूचित किया जाएगा ।
19. पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति - (1) पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति में निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा, अर्थात्: -
- (क) संबंधित पत्तनों के पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी;
- (ख) सीमा शुल्क विभाग;
- (ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो;
- (घ) केन्द्रीय आसूचना अभिकरण;
- (ङ.) राज्य आसूचना अभिकरण;
- (च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल;
- (छ) स्थानीय पुलिस;
- (ज) आप्रवासन विभाग;
- (झ) भारतीय नौसेना;
- (ञ) भारतीय तटरक्षक;
- (ट) राज्य समुद्री सुरक्षा समन्वयक; और
- (ठ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की कोई अन्य संबंधित अभिकरण, जिसे संबंधित पत्तन के अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उपयुक्त समझा हो ।

(2) महापत्तनों के अध्यक्ष पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख होंगे और उसकी किसी भी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(3) गैर-महापत्तनों के मामले में, गैर-महापत्तनों के कार्य के संबंध में समुद्री बोर्ड या संबंधित राज्य सरकार के प्रमुख अपनी अधिकारिता के अधीन सभी पत्तनों की पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति की अध्यक्षता करेंगे:

परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, जहां कुछ छोटे पत्तनों (गैर-एक्ज़िम या गैर-कंटेनर पत्तनों) की पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समुद्री बोर्ड या राज्य सरकार के सचिव के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की जाए, पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति की रिपोर्ट को मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(4) पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति पत्तन की सुरक्षा पुनर्विलोकन के लिए प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी:

परंतु पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति, यदि आवश्यक हो, संबंधित पत्तन के संकट की अवधारणा के आधार पर अधिक-बार बैठक करेगी।

(5) नवगठित पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति, पत्तन की अनुमोदित पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना की पुनर्विलोकन करेगी:

परंतु पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के संबंध में सीमा-शुल्क और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के सुझावों पर पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा:

परंतु यह और कि पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किए गए किसी भी प्रस्तावित सुधार को पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना में सम्मिलित किया जाएगा और उसे मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा पुनर्विलोकन के पश्चात परीक्षण और अनुमोदन के लिए क्षेत्राधिकार व्यापारिक समुद्री विभाग को भेजा जाएगा।

(6) नए पत्तन के मामले में, ऐसा पत्तन एक पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति का गठन करेगा:

परंतु ऐसे पत्तन के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना तैयार करते समय सभी पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्यों के विचार लिए जाएंगे:

परंतु यह और कि पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना में पर्याप्त रूप से उनकी चिंताओं का समाधान किया गया है:

परंतु यह भी कि पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना को मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा पुनर्विलोकन के पश्चात सत्यापन और अनुमोदन के लिए अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय व्यापारिक समुद्री विभाग को प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित करने से पूर्व पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति द्वारा जांच की जाएगी।

(7) इसके अनुसार पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना की पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, संबंधित पत्तन को यथा लागू, अनुपालन या वार्षिक सत्यापन विवरण जारी करने के लिए सुरक्षा संपरीक्षा के लिए पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारिता रखने वाले व्यापारिक समुद्री विभाग या अन्य उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क करना अपेक्षित है।

20. पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी - (1) प्रत्येक पत्तन सुविधा के लिए एक पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी पदाभिहित किए जाएंगे।

(2) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(क) सुसंगत पत्तन सुविधा सुरक्षा मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए पत्तन सुविधा का प्रारंभिक व्यापक सुरक्षा सर्वेक्षण करना;

(ख) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना का विकास और रखरखाव सुनिश्चित करना;

- (ग) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना को लागू करना और क्रियान्वित करना;
- (घ) उचित सुरक्षा उपायों की सतता सुनिश्चित करने के लिए पत्तन सुविधा का नियमित सुरक्षा निरीक्षण करना;
- (ङ.) कमियों को दूर करने और पत्तन सुविधा में सुसंगत परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए योजना को अद्यतन करने के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना में उचित उपांतरणों की सिफारिश करना और सम्मिलित करना;
- (च) पत्तन सुविधा कर्मियों की सुरक्षा जागरूकता और सतर्कता बढ़ाना;
- (छ) यह सुनिश्चित करना कि पत्तन सुविधा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए;
- (ज) अपने संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करना और उन घटनाओं के रिकॉर्ड बनाए रखना जो पत्तन सुविधा की सुरक्षा को संकट में डालें;
- (झ) उपयुक्त कंपनी और पोत सुरक्षा अधिकारियों के साथ पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना;
- (ञ) जो उचित हो, सुरक्षा सेवाओं के साथ समन्वय करना;
- (ट) यह सुनिश्चित करना कि पत्तन सुविधा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी कर्मियों के लिए मानक पूरे किए गए हैं;
- (ठ) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा उपस्कर ठीक से संचालित, परीक्षण, अंशशोधित और रखरखाव किए गए हैं;
- (ड) अनुरोध किए जाने पर पोत पर चढ़ने के इच्छुक लोगों की पहचान की पुष्टि करने में पोत सुरक्षा अधिकारियों की सहायता करना;
- (ढ) तटीय सुरक्षा स्तरों के मूल्यांकन के लिए राज्य समुद्री सुरक्षा समन्वयकों के माध्यम से स्थानीय समुद्री सुरक्षा अभिकरणों (भारतीय नौसेना या तटरक्षक या सुरक्षा प्रबंधन योजना) के साथ समन्वय करना और किसी भी घटना की समुद्री सुरक्षा अभिकरणों को अवगत कराना या पत्तन सुरक्षा स्तर 1 या पत्तन सुरक्षा स्तर 2 या पत्तन सुरक्षा स्तर 3 को अद्यतन करना; और
- (ण) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना को लागू करना और क्रियान्वित करना।
- (3) पत्तन सुरक्षा सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड और नियमों के अधीन कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी की अर्हता निम्न प्रकार होगी:-
- (क) महापत्तन के लिए, ऐसा पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी जिसके पास मर्चेट मरीन बैकग्राउंड का प्रबंधन स्तर दक्षता (विदेश जाना) प्रमाणपत्र हो;
- (ख) तीन सौ मीटर और उससे अधिक की लंबाई वाले गैर-महापत्तनों के लिए, पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करेंगे, अर्थात्: -
- (i) जिसके पास प्रबंधन स्तर दक्षता प्रमाणपत्र (विदेश जाना) हो; या
- (ii) यदि भूतपूर्व सैनिकों को नियोजित किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय नौसेना में कमांडर के पद से नीचे या भारतीय तटरक्षक बल में समतुल्य पद पर कार्य किया हो;

- (ग) तीन सौ मीटर और उससे कम लंबाई वाले गैर-महापत्तनों के लिए, पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, अर्थात्: -
- (i) जिसके पास प्रचालन स्तर अधिकारी के स्तर पर नौकायन का अनुभव हो; या
 - (ii) यदि भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद से नीचे या भारतीय तटरक्षक बल में समतुल्य पद पर कार्य किया हो।
- (5) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों को सुरक्षा अभिसमय के अधीन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।
- (6) पत्तन, निम्नलिखित अर्हताएँ रखने वाले एक उप पत्तन सुविधा अधिकारी को नियोजित करेगा, अर्थात्: -
- (i) ऐसा उप पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी जिसके पास मर्चेट मरीन बैकग्राउंड का प्रबंधन स्तर दक्षता (विदेश जाना) प्रमाणपत्र हो;
- या
- (ii) जिसके पास प्रचालन स्तर दक्षता (विदेश जाना) प्रमाणपत्र हो; या
 - (iii) जिसके पास पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी प्रमाणपत्र हो ; या
 - (iv) जो पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम के साथ भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक से कमीशन अधिकारी हो।
- (7) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी और उपयुक्त पत्तन सुविधा सुरक्षा कर्मियों के पास अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग ख में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए ज्ञान हो और प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
- 21. पत्तन सुविधा सुरक्षा पर प्रशिक्षण, ड्रिल और व्यायाम.** - (1) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी और पत्तन के उपयुक्त पत्तन सुविधा सुरक्षा कर्मियों को ज्ञान हो और अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता की धारा 18 के अनुसार तथा उक्त संहिता के भाग ख में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
- (2) पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए, पत्तन सुविधा के संचालन के प्रकार, पत्तन सुविधा कर्मियों के परिवर्तन, पत्तन सुविधा सेवा के प्रकार और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग ख में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए उचित अंतराल पर अभ्यास किया जाएगा।
- (3) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी उचित अंतराल पर अभ्यास में भाग लेकर, अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग ख में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।
- (4) पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी समय-समय पर पर्याप्त सूचना अवधि के साथ समुद्री सुरक्षा अभिकरणों द्वारा आयोजित सभी तटीय या पत्तन या समुद्री सुरक्षा संबंधी अभ्यासों में पत्तन सुविधा सुरक्षा संगठन की उचित भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
- 22. सत्यापन.**-(1) प्रत्येक पोत जिस पर अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता का भाग क लागू होता है, नीचे निर्दिष्ट सत्यापन के अध्यक्षीन होगा, अर्थात्: -
- (क) पोत को सेवा में लगाने से पूर्व या इन नियमों के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र पहली बार जारी करने से पूर्व एक प्रारंभिक सत्यापन, जिसमें इसकी सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन

सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क के सुसंगत उपबंधों के अधीन आने वाले किसी भी संबंधित सुरक्षा उपस्कर का पूर्ण सत्यापन भी सम्मिलित होगा और अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोत की सुरक्षा प्रणाली और कोई भी संबंधित सुरक्षा उपस्कर सुरक्षा अभिसमय और अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क की लागू अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन करता है, और संतोषजनक स्थिति में है तथा उस सेवा के लिए उपयुक्त है जिसके लिए पोत आशयित है;

(ख) पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अंतराल पर नवीनीकरण सत्यापन, किन्तु पांच वर्ष से अनधिक, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोत की सुरक्षा प्रणाली और कोई भी संबंधित सुरक्षा उपस्कर, सुरक्षा अभिसमय और अंतर्राष्ट्रीय पोत तथा पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क की लागू अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन करता है और संतोषजनक स्थिति में है तथा उस सेवा के लिए उपयुक्त है जिसके लिए पोत आशयित है;

(ग) प्रमाणपत्र पर कम से कम एक मध्यवर्ती सत्यापन किया जाएगा जो प्रमाणपत्र की दूसरी और तीसरी वर्षगांठ की तारीख के बीच होगा और इसमें सुरक्षा प्रणाली और पोत के किसी भी संबंधित सुरक्षा उपस्कर का निरीक्षण सम्मिलित होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उस सेवा के लिए संतोषजनक बना रहे जिसके लिए पोत आशयित है:

परंतु इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रमाणपत्र पर ऐसे मध्यवर्ती सत्यापन का समर्थन किया जाएगा; और

(घ) पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित कोई भी अतिरिक्त सत्यापन।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सत्यापन, अनुसूची 4 के अनुसार पदाभिहित प्राधिकारी के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

परंतु पदाभिहित प्राधिकारी किसी मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्यिक समुद्री विभाग के मुख्य अधिकारी को सत्यापन सौंप सकेगा।

(3) पदाभिहित प्राधिकारी सत्यापन की पूर्णता और दक्षता की पूरी गारंटी देगा और दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(4) सत्यापन के पश्चात पोत की सुरक्षा प्रणाली और किसी भी संबद्ध सुरक्षा उपस्कर को सुरक्षा अभिसमय और अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क और अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना के अन्य उपबंधों के अनुरूप बनाए रखा जाएगा:

परंतु किसी भी सत्यापन के अनुसार, पदाभिहित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना सुरक्षा प्रणाली और किसी भी संबद्ध सुरक्षा उपस्कर या अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

23. अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करना या पृष्ठांकन करना – कोई अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रारंभिक या नवीनीकरण सत्यापन के पश्चात, अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में जारी किया जाएगा और पदाभिहित प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या अधिकारिता रखने वाले व्यापारिक समुद्री विभाग द्वारा जारी या पृष्ठांकित किया जाएगा:

परंतु कोई अन्य अनुबंध सरकार, पदाभिहित प्राधिकारी के अनुरोध पर, पोत को सत्यापित किया जाएगा और, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है, तो वह पोत को एक अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करेगा और, जहां उचित हो, इन नियमों के अनुसार, पोत पर उस प्रमाण पत्र के पृष्ठांकन को प्राधिकृत करेगा:

परंतु यह और कि प्रमाण पत्र की एक प्रति और सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति अनुरोध करने वाली अनुबंध सरकार को यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी:

परंतु यह भी कि इस प्रकार जारी किए गए प्रमाण पत्र में इस आशय का एक कथन अंतर्विष्ट होगा कि यह अनुबंध करने वाली सरकार के अनुरोध पर दिया गया है और इसमें वही बल होगा और इसे पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के समान ही मान्यता प्राप्त होगी।

24. प्रमाणपत्र की कालावधि और वैधता.— (1) अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए जारी किया जाएगा, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां नवीनीकरण सत्यापन विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से तीन मास पहले या उसके भीतर पूरा किया जाता है, तब नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक समय तक नवीनीकरण सत्यापन के पूरा होने की तारीख से मान्य होगा।

(3) जहां नवीनीकरण सत्यापन विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख के पश्चात्, पूरा किया जाता है, वहां नया प्रमाणपत्र नवीनीकरण सत्यापन के पूरा होने की तारीख से विद्यमान प्रमाणपत्र के सत्यापन की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मान्य होगा।

(4) यदि कोई प्रमाणपत्र पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए जारी किया जाता है, पदाभिहित प्राधिकारी समाप्ति की तारीख से परे ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता को अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड में विनिर्दिष्ट अधिकतम अवधि के लिए बढ़ा सकता है :

परन्तु अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड में निर्दिष्ट सत्यापन, जैसा लागू हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रमाण पत्र जारी करते समय उचित रूप से किया जाता है।

(5) यदि नवीनीकरण पूरा हो चुका है और विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख से पहले प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है या पोत के बोर्ड पर नहीं रखा गया है, पदाभिहित प्राधिकारी, या मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन, या वाणिज्यिक समुद्री विभाग विद्यमान प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित कर सकता है और ऐसे प्रमाणपत्र को आगे के लिए वैध माना जाएगा जो अपनी समाप्ति तारीख से पांच महीने से अधिक नहीं होगी।

(6) यदि कोई पोत, प्रमाणपत्र के समाप्ति के समय, उस पत्तन पर नहीं है जहां इसे सत्यापित किया जाना है, तो पदाभिहित प्राधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि बढ़ा सकता है:

परन्तु ऐसा विस्तार केवल पोत को उस पत्तन तक अपनी समुद्र यात्रा पूरी करने की अनुमति देने के प्रयोजन से दिया जाएगा जहां यह सत्यापित है, और केवल उन मामलों में जहां ऐसा करना उचित और युक्तियुक्त प्रतीत होता है:

परन्तु यह और कि कोई भी प्रमाणपत्र तीन मास से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा, और जिस पोत को विस्तार दिया गया है, वह उस पत्तन पर पहुंचने पर, जहां इसे सत्यापित किया जाना है, ऐसे विस्तार के आधार पर नया प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना उस पत्तन को छोड़ने का हकदार नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि जब नवीनीकरण सत्यापन पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विस्तार दिए जाने से पूर्व विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख से पांच वर्ष से अधिक की तारीख तक वैध नहीं होगा।

(7) छोटी समुद्री यात्राओं पर लगे पोत को जारी किया गया प्रमाणपत्र, जिसे पूर्वगामी उपबंधों के अधीन बढ़ाया नहीं गया है, पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र पर बताई गई समाप्ति तारीख से एक मास से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है :

परन्तु जब नवीनीकरण सत्यापन पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विस्तार दिए जाने से पूर्व विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की तारीख तक वैध होगा।

(8) यदि कोई मध्यवर्ती सत्यापन अवधि से पहले पूरा हो जाता है, तो--

(क) प्रमाण पत्र पर दर्शाई गई समाप्ति तारीख के पृष्ठांकन द्वारा संशोधित किया जाएगा जो उस तारीख से तीन वर्ष से अधिक के बाद की नहीं होगी जिस दिन मध्यवर्ती सत्यापन पूरा हुआ था;

(ख) समाप्ति तारीख अपरिवर्तित रह सकती है परन्तु एक या अधिक अतिरिक्त सत्यापन किए जाएं ताकि निर्दिष्ट सत्यापनों के बीच अधिकतम अंतराल से अधिक न हो।

(9) इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र निम्नलिखित में से किसी भी मामले में वैध नहीं रहेगा, अर्थात्- :

(क) यदि सुसंगत सत्यापन इस नियम के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है;

(ख) यदि प्रमाणपत्र लागू नियमों के अनुसार पृष्ठांकित नहीं है;

(ग) जहां कंपनी किसी पोत के प्रचालन का उत्तरदायित्व लेती है, जो पहले उस कंपनी द्वारा संचालित नहीं किया गया था ;और

(घ) पोत को दूसरे राज्य के झंडे में अंतरित करने पर।

(10) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री के लिए किसी अन्य संविदाकारी सरकार के ध्वज से पोत के स्थानांतरण के मामले में, ऐसी अन्य संविदाकारी सरकार, जितनी जल्दी हो सके, स्थानांतरण से पूर्व पोत द्वारा ले जाए गए अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रतियां, या उससे संबंधित सभी जानकारी और उपलब्ध सत्यापन रिपोर्ट की प्रतियां पदाभिहित प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

(11) यदि कोई कंपनी किसी ऐसे पोत के प्रचालन का उत्तरदायित्व लेती है जो पहले उस कंपनी द्वारा संचालित नहीं है, तो पिछली कंपनी यथाशीघ्र, प्राप्तकर्ता कंपनी को इस नियम में दिए गए सत्यापन को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या उससे संबंधित कोई भी जानकारी भेज देगी।

25. अंतरिम प्रमाणन.— (1) नियम 23 के अधीन जारी किए गए प्रमाण पत्र केवल तभी जारी किए जाएंगे जब प्रमाण पत्र जारी करने वाला पदाभिहित प्राधिकारी पूरी रूप से संतुष्ट हो कि पोत अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड और सुरक्षा अभिसमय की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है:

परन्तु इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, नियम 23 के अधीन प्रमाणपत्र जारी होने तक, पदाभिहित प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों में एक अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, अर्थात् :-

(क) परिदान पर या सेवा में प्रवेश या पुनः प्रवेश से पहले बिना प्रमाणपत्र वाला पोत;

(ख) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए एक संविदाकारी सरकार के ध्वज से एक पोत का स्थानांतरण ;

(ग) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी ऐसे राज्य से पोत का स्थानांतरण, जो एक संविदाकारी सरकार नहीं है ;या

(घ) जब एक कंपनी उस पोत के संचालन का उत्तरदायित्व लेती है जो पहले उस कंपनी द्वारा संचालित नहीं होता था।

(2) एक अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र केवल तभी जारी किया जाएगा जब पदाभिहित प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन ने निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति का सत्यापन किया है, अर्थात् :-

(क) अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क द्वारा आवश्यक पोत सुरक्षा मूल्यांकन पूरा हो गया है;

(ख) अभिसमय की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली पोत सुरक्षा योजना की एक प्रति और अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड का भाग क पोत पर प्रदान किया गया है ,पुनर्विलोकन और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है, और पोत पर लागू किया जा रहा है;

(ग) पोत को सुरक्षा अभिसमय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली प्रदान की जाती है।

(घ) कंपनी सुरक्षा अधिकारी-

(i) यह सुनिश्चित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क के अनुपालन के

लिए पोत सुरक्षा योजनाओं की पुनर्विलोकन सुनिश्चित की गई है;

(ii) योजना अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है ;और

(iii) यह सुनिश्चित किया है कि योजना को पोत पर लागू किया जा रहा है ;और

(iv) ड्रिल, अभ्यास और आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था सहित आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, जिसके माध्यम से कंपनी सुरक्षा अधिकारी संतुष्ट है कि पोत नियम 22 के उप नियम (1) के अनुसार छह महीने की अवधि के भीतर आवश्यक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा ;

(ड) नियम 22 के अधीन अपेक्षित सत्यापन करने की व्यवस्था की गई है ;

(च) पोत के मास्टर, सुरक्षा अधिकारी और विशिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों वाले अन्य पोत के कार्मिक अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता के भाग क में विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों और संबंधित उपबंधों से परिचित हैं पोत सुरक्षा योजना बोर्ड पर रखी गई है, और ऐसी जानकारी अंग्रेजी में प्रदान की गई है ;और

(छ) पोत सुरक्षा अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(3) एक अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र पदाभिहित प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किया जा सकता है।

(4) एक अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र छह महीने की अवधि के लिए वैध होगा, या जब तक इन नियमों द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है, उनमें से जो भी पहले हो, और ऐसी अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(5) यदि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन या वाणिज्यिक समुद्री विभाग के निर्णय में, पोत प्रयोजनों में से एक, पदाभिहित प्राधिकारी किसी पोत को बाद में, लगातार अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी नहीं कराएगा या इस तरह के प्रमाणपत्र का अनुरोध करने वाली कंपनी को इन नियमों के अधीन आवश्यक प्रारंभिक अंतरिम प्रमाणपत्र की अवधि से परे सुरक्षा अभिसमय और अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क के पूर्ण अनुपालन से बचना है।

(6) सुरक्षा अभिसमय के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित प्राधिकारी, अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र को वैध प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार करने से पहले, यह सुनिश्चित कर सकता है कि इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है।

26. प्रमाणन का निलंबन या प्रत्याहरण.-- पदाभिहित प्राधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकता है, अर्थात् :--

(क) सुधारात्मक कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरे नहीं हुए हैं;

(ख) आवधिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और पत्तन सुविधा कोड में संशोधन को ध्यान में नहीं रखा गया है;

(घ) लघु और गैर-अनुरूपता या प्रमुख गैर-अनुरूपता का साक्ष्य है ;या

(ड) पोत या पत्तन सुविधा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में पर्याप्त उपांतरण के बारे में पदाभिहित प्राधिकारी को सूचित नहीं किया गया है।

27. पत्तनों के लिए सत्यापन और प्रमाणन.—(1) पत्तन सुविधा के अनुपालन का विवरण जारी करने के लिए, पदाभिहित प्राधिकारी निम्नलिखित के माध्यम से प्रारंभिक सत्यापन करेगा, अर्थात्- :

- (क) यह सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों का पुनर्विलोकन कि सुरक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड का अनुपालन करती है; या
- (ख) कम से कम तीन महीने के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा प्रणाली के प्रभावी कामकाज को सत्यापित करने के लिए पत्तन का लेखापरीक्षा करें।

(2) पत्तन सुविधा एक मध्यवर्ती सत्यापन करेगी, जो इन नियमों के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र की दूसरी और तीसरी वार्षिक तारीख के बीच होगा या, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता बनाए रखने और सत्यापित करने के लिए होगा और निम्नलिखित विवरणों को सत्यापित करेगा, अर्थात् :--

- (क) सुरक्षा प्रणाली की प्रभावी कार्यप्रणाली;
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता की जांच के साथ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के किसी भी संशोधन का अनुपालन; और
- (ग) किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का संतोषजनक कार्यान्वयन

(3) पत्तन सुविधा में सुरक्षा प्रणाली के अनुपालन के लिए वार्षिक सत्यापन होगा।

28. छूट देने और अभियुक्त प्रदान करने की शक्ति.-- पदाभिहित प्राधिकारी किसी विशेष भारतीय पोत, या पत्तन सुविधा, या भारतीय पोतों या पत्तन सुविधाओं के समूह को, इन नियमों में प्रदान किए गए उपायों के समकक्ष अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुमति दे सकता है:

परन्तु ऐसे सुरक्षा उपाय उतने ही प्रभावी होंगे जितने इन नियमों में उपबंधित हैं:

परन्तु यह और कि, ऐसे मामले में, पदाभिहित प्राधिकारी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को सूचित करेगा।

29. पोतों की बाध्यता.—भारत के अधिकार क्षेत्र में किसी भी पत्तन में प्रवेश करने वाले किसी भी पोत को अनुसूची 6 में उपबंधित प्ररूप में ऐसे पत्तन पर अपने आगमन से छियानवे घंटे पहले की जानकारी प्रदान करनी होगी।

30. निदेश और मार्गदर्शन जारी करने की शक्ति.— इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, पदाभिहित प्राधिकारी सुरक्षा अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड, या नियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए किसी भी पोत, या कंपनी, या पत्तन, या किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर को निदेश या मार्गदर्शन जारी कर सकता है।

31. फीस और मान .— (1) प्रत्येक पत्तन, या पोत, या कंपनी, या व्यक्ति या व्यक्ति का निकाय जिस पर ये नियम लागू होते हैं, अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट फीस के पैमाने और मान के अनुसार फीस का भुगतान करेगा और आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन संदत्त की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।

32. नियंत्रण और उपाय.—किसी भी पोत का प्रवेश जिस पर ये नियम लागू होते हैं या उसका किसी पत्तन में प्रवेश करने का आशय है, सुरक्षा अभिसमय के अध्ययाय- 11-2 के विनियमन- 9 के उपबंधों के अधीन होगा।

अनुसूची - 1

[नियम 2 (क) देखें।]

अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड
अंतरराष्ट्रीय जलजलयात्रा , तटीय जलयान और अन्य जलयानों पर लगे
जलयानों के लिए अपेक्षा
क. तटीय जलयान

क्र. सं..	जलयान के प्रकार	पोत सुरक्षा योजना	पोत सुरक्षा अधिकारी	कंपनी सुरक्षा अधिकारी	पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली	प्रतिभूति उपस्कर **	स्वचालित पहचान प्रणाली	पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	लेखा-परीक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	3000जी टी से अधिक तटीय जलयान	हां	हां	हां	हां	हां (नाइटविज़न दूरबीन के अलावा)	टाइप क	हां	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
2.	500 से 3000 जी टी के मध्य तटीय जलयान	हां	हां (सीएसओ द्वारा प्रमाणित लेकिन प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है)	हां	नहीं	हां(नाइटविज़न दूरबीन और स्कैनर के अलावा)	टाइप क	हां	
3.	तट पर 500 जी टी से कम/ 300 जी टी से अधिक जलयान	हां	हां (सीएसओ द्वारा प्रमाणित लेकिन प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है)	हां	नहीं	नहीं	टाइप क	हां	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
4.	300 जीटी और 500 जीटी के बीच जलयान यदि IV सीमाओं से तट पर 300 जीटी से कम क्षमता वाला प्रचालित जलयान	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार

टिप्पण: - यहां तटीय जलयान में वे जलयान शामिल हैं जो विदेशी पत्तनों पर नहीं आ रहे हैं और केवल भारतीय तट पर पत्तनों के बीच कार्य कर रहे हैं

ख. अंतर्राष्ट्रीय जलजलयात्रा

क्र. सं.	जलयान के प्रकार	पोत सुरक्षा योजना	पोत सुरक्षा अधिकारी	कंपनी सुरक्षा अधिकारी	पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली	प्रतिभूति उपस्कर **	स्वचालित पहचान प्रणाली	अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	लेखा-परीक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	अंतर-राष्ट्रीय जलजलयात्रा या ओं पर 500 सकल टन भार या उससे अधिक का पोत और अंतर-राष्ट्रीय जलजलयात्रा यात्री पोत।	हां	हां	हां	हां (वेब प्रदर्शन सुविधा के साथ)	हां	टाइप क	अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
2.	अंतर-राष्ट्रीय जलजलयात्रा पर जलयान ≤ 500 सकल टन	हां	हां	हां	हां (वेब प्रदर्शन सुविधा के साथ)	हां	टाइप क	अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार

ग. अन्य जलयान

क्र. सं.	जलयान के प्रकार	पोत सुरक्षा योजना	पोत सुरक्षा अधिकारी	कंपनी सुरक्षा अधिकारी	पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली	प्रतिभूति उपस्कर **	स्वचालित पहचान प्रणाली	पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	लेखा-परीक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	नदी सागर जलयान प्रकार IV और ≥ 500 सकल टन भार	हां	हां	हां	हां (वेब प्रदर्शन के बिना)	हां	टाइप क **	पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
2.	नदी सागर जलयान टाइप IV और ≤ 500 सकल टन भार	हां	हां (प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है लेकिन कंपनी सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया गया है)	हां	नहीं	हां	टाइप ख	पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
3.	नदी सागर जलयान प्रकार III और ≥ 500 सकल टन भार	हां	हां (प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है लेकिन कंपनी सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया गया है)	हां	नहीं	हां	टाइप ख	पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
4.	नदी सागर जलयान प्रकार III	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	प्रकार ख	पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा

	और ≤500 सकल टन भार								विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
5.	नदी सागर जलयान प्रकार II	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	प्रकार ख	नहीं	कंपनी
6.	नदी सागर जलयान प्रकार I	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	प्रकार ख	नहीं	पत्तन या कंपनी
7.	अंतर्राष्ट्रीय जलयात्रा पर मशीनीकृत चलत जलयान (एमएसवी)	हां	नहीं	हां	हां	हां	प्रकार ख	पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र (एमएसवी)	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
8.	अंतर्राष्ट्रीय जलजलयात्रा पर मशीनीकृत चलत जलयान (एमएसवी)	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	प्रकार ख	नहीं	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
9.	20 मीटर या उससे अधिक लंबाई के मछली पकड़ने के जलयान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	प्रकार ख	नहीं	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
10.	मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग यूनिट(एमओ डीयू) (चालित या गैर-चालित)	हां	हां	हां	हां (वेब प्रदर्शन के बिना)	हां	प्रकार ख	पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार
11.	आवास बार्ज	हां	हां	हां	हां (वेब प्रदर्शन के बिना)	हां	प्रकार ख	पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र	पोत परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री विभाग के भारतीय रजिस्ट्रार

टिप्पण 1:- इसमें तटीय जलयात्रा से भारतीय पत्तनों के बीच परिचालन करने वाले भारतीय जहाजों से जलयान अभिप्रेत हैं।

टिप्पण 2:- नदी सागर जलयान के लिए पृथक से पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है क्योंकि इसे नदी सागर जलयान हेतु सामंजस्यपूर्ण प्रमाण पत्र में शामिल किया जाएगा।

	के लिए अलग- अलग कोड कलर पास										
12.	नाइट विजन दूरबीन	1न.	1न.	1न.	1न.	1न.	1न.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं	1न.	1न.

अनुसूची – 3

[नियम 5 (3) देखें]

एक पोत और एक पत्तन सुविधा के बीच सुरक्षा की घोषणा का प्ररूप *
सुरक्षा की घोषणा

पोत का नाम:

रजिस्ट्री के पत्तन

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या

पत्तन सुविधा का नाम

निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए सुरक्षा की यह घोषणा से तक..... मान्य
है

.....
(सुसंगत ब्यौरों के साथ क्रियाकलापों को सूचीबद्ध करें)

निम्न सुरक्षा स्तरों के अधीन

पोत सुविधा के लिए

पत्तन सुविधा के लिए सुरक्षा स्तर(ओं)

पोत और पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता के भाग क की अपेक्षाओं के साथ पत्तन सुविधा
और पोत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपायों और उत्तरदायित्व से सहमत हैं

इन स्तंभों के अधीन पोत सुरक्षा अधिकारी या पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के आद्याक्षरों को चिपकाने से उपदर्शित होता है कि क्रियाकलाप सुसंगत अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा।

क्रियाकलाप	पत्तन की सुविधा	पोत	
सभी सुरक्षा कर्तव्यों का निष्पादन सुनिश्चित करना			
यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्रों में केवल अधिकृत कर्मियों की ही पहुंच हो की मॉनीटरी			
पत्तन सुविधा तक पहुंच को नियंत्रित करना			
पोत तक पहुंच को नियंत्रित करना			
पोत की मॉनीटरी, जिसमें पोत के आसपास के बचाव क्षेत्र भी शामिल हैं			
कार्गो का संचालन			
पोत के भंडार का परिदान			

* सुरक्षा की घोषणा का यह प्ररूप एक पोत और एक पत्तन सुविधा के बीच उपयोग के लिए है। यदि सुरक्षा की घोषणा दो पोत को कवर करना है, तो इस मॉडल को समुचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

अनुसूची 4

[नियम 10 (5) (ज) और 22 (2) देखें]

भाग- क

पोत परिवहन महानिदेशालय अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा

सुरक्षा कोड

सत्यापन अनुसूची

सत्यापन का प्रकार : अंतरिम या प्रारंभिक या नवीकरण या मध्यवर्ती या अतिरिक्त या अनुवर्ती *

पोत का नाम :

तारीख :

कंपनी का नाम :

स्थान :

क्र. सं.	समय.....अवधि से.....अवधि तक	कार्य या विभाग (उद्घाटन और समापन बैठकों सहित)
1		उद्घाटन बैठक
2		दस्तावेज़ का पुनर्विलोकन
3		पोत सुरक्षा अधिकारी और मास्टर की लेखा परीक्षा
4		सुरक्षा प्रक्रिया और अभिलेखों का सत्यापन
5		कर्मि दल का साक्षात्कार
6		अभ्यास
7		भौतिक सुरक्षा रोशनी और सुरक्षा उपस्करों का सत्यापन
8		समापन बैठक
9		कुल समय

* जो समुचित हो लोप करें

टीम लीडर के हस्ताक्षर

भाग-ख

पोत परिवहन महानिदेशालय

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड

पोत: प्रारंभिक या अंतरिम या पुनर्विलोकन या अतिरिक्त * सत्यापन रिपोर्ट

पोत का नाम:	निर्धारित : मुंबई		
तारीख:			
समय/घंटे:	दिन घंटे:	अंधेरे घंटे:	
के दौरान पोत की परिचालन स्थिति			
पत्तन की रजिस्ट्री: मुंबई	जी टी :		
कॉल साइन:	पोत का प्रकार:		
निर्माण की तारीख:			
कार्यालय संख्या :	अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन संख्या :		
झंडा:			
कंपनी का नाम:			
आईएसएससी/ एसएससी संख्या :	पर जारी किया गया:	जब तक मान्य है:	
द्वारा जारी: भारत सरकार अंतिम मध्यवर्ती समर्थन.....			
टीम लीडर:	लेखा परीक्षा की तारीख:		
टीम के सदस्य:			
कोई गैर-अनुपालन:हां या नहीं /गैर अनुरूपताओं की संख्या :			
सभी गैर-अनुपालन की प्रतियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं:हां /नहीं /लागू नहीं होता।			
गैर अनुरूपताओं को मंजूरी दी गई है: हां या नहीं या नहीं लागू नहीं होता।			
यदि एनसी को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो अतिरिक्त सत्यापन अपेक्षित है: हां या नहीं या लागू नहीं होता।			
रिपोर्ट का सार:			

*जो समुचित हो लोप करें

(अ) सुरक्षा प्रणाली के प्रतिनिधि नमूनों की लेखा परीक्षा से पता चलता है कि सुरक्षा प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू की गई है: हां या नहीं
(आ) पोत सुरक्षा योजना में विनिर्दिष्ट सभी सुरक्षा उपस्कर लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं: हां या नहीं
(इ) पोत सुरक्षा योजना में विनिर्दिष्ट सभी सुरक्षा उपस्कर परिचालित हैं और उस सेवा के लिए फिट हैं जिसके लिए इसका आशय है: हां या नहीं
बोर्ड पर रखे गए आईएसएससी 5 मास के लिए मान्य है :हां या नहीं /नहीं लागू नहीं होता
सिफारिश:
टीम लीडर, पोत मास्टर या पोत सुरक्षा अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पण:

1. तटीय जलयानों के लिए अंतरिम प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट को अनंतिम पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र के रूप में माना जाता है जो पांच मास के लिए मान्य होता है, केवल तभी जब सर्वेक्षक पूर्ण अवधि प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश करता है।
2. यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पत्रों का उपयोग करें।

भाग-ग

**अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड टीक-टिप्पणी और
सिफारिशें**

तारीख :

स्थान :

कंपनी सुरक्षा अधिकारी या मास्टर

टीम लीडर लेखा परीक्षक टिप्पण :

बोर्ड पर सुरक्षा उपस्कर की परिचालित प्रास्थिति स्थिति पर रिपोर्ट

क्र.सं.	उपस्कर की पहचान	पोत सुरक्षा योजना के अनुसार अवस्थिति	परिचालित हां या नहीं *	टिप्पणियां
1	साधारण अलार्म			
2	हाई बीम टॉर्च			
3	डंडे			
4	फोटो पहचान पत्र			
5	फ्लड रोशनी			
6	सीटी			
7	डॉग लेग मिरर			
8	हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर			
9	केबल जोड़			
10	विभिन्न रंग कोड पास			
11	नाइट विजन दूरबीन			
12.	स्वचालित पहचान प्रणाली (वर्ग क)			

* पोत सुरक्षा उपस्कर यदि फिट किए जाते हैं तो सत्यापन लेखा परीक्षा के दौरान परीक्षण किया जाए

लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर

दस्तावेजों का पुनर्विलोकन और अभिलेखों का सत्यापन
दस्तावेजों और अभिलेखों की सूची

शीर्षक	तारीख	पुनर्विलोकन प्रास्थिति	टिप्पणियां *
दस्तावेज			
अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना			
पोत सुरक्षा निर्धारण			
बोर्ड पर निरंतर सारांश रिकॉर्ड और अद्यतन			
स्वचालित पहचान प्रणाली सर्वेक्षण रिकॉर्ड (अंतिम सर्वेक्षण की तारीख)			
पोत सुरक्षा सतर्क प्रणाली सर्वेक्षण की तारीख			
फ्लैग स्टेट नोटिस और परिपत्र			
अभिलेख			
बाह्य सत्यापन			
पत्तन स्टेट नियंत्रण निरीक्षण			
आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
पोत /कंपनी द्वारा पहचाने गए गैर-अनुपालन और गैर-अनुपालन के सापेक्ष लागू सुधारात्मक कार्रवाई			
ड्रिल और अभ्यास			
प्रशिक्षण			
सुरक्षा का उल्लंघन (घटना की रिपोर्ट)			
सुरक्षा संसूचना का रिकॉर्ड			
अनधिकृत पहुँच से सुरक्षित रिकॉर्ड			

अभिलेख	हां या नहीं	टिप्पणियां*
सुरक्षा स्तर में परिवर्तन		
फ्लैग स्टेट से संसूचना		
फ्लैग स्टेट की अभिस्वीकृति		
पत्तन स्टेट से संसूचना (पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से)		

पत्तन स्टेट की अभिस्वीकृति (पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से)		
फ्लैग स्टेट से विनिर्दिष्ट अनुदेश		
पत्तन स्टेट से विनिर्दिष्ट अनुदेश		
अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन सं. की हल्ल मार्किंग		
पोत सुरक्षा निर्धारण का आवधिक पुनर्विलोकन		
पोत सुरक्षा योजना का आवधिक पुनर्विलोकन		
पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (आज्ञापक) और पोत सुरक्षा योजना के रूप में अन्य सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव, अंशांकन और परीक्षण		
सुरक्षा की घोषणा (यदि लागू हो)		

टीका- टिप्पणियों के अधीन प्रविष्ट की जाने वाली टिप्पणियों के ब्यौरे*
टीम लीडर की टीका-टिप्पणियां और टिप्पणियां उपरोक्तानुसार है
(जहां आवश्यक हो खाली पन्ने का उपयोग करें)

भाग घ

पोत परिवहन महानिदेशालय

अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संपरीक्षा जांच सूची

पोत सत्यापन

अंतरिम या प्रारंभिक या मध्यवर्ती या अतिरिक्त या अंतिम या अनुवर्ती या नवीकरण संपरीक्षा*

1. क्या फलक पर पोत सुरक्षा योजना अनुमोदित है :

हां या नहीं

2. क्या पोत सुरक्षा योजना निम्नलिखित लिए अनुमोदित है :

हां या नहीं

(क) सीमित क्षेत्र प्रचालन

(ख) विश्वव्यापी प्रचालन

3.. पोत परिवहन महानिदेशालय को अनुरोध भेज दिया गया है और संपरीक्षा के संचालन के लिए प्राधिकार प्राप्त किया गया है

हां या नहीं

4. क्या पोत के पास यह दर्शाने के लिए साक्ष्य है कि पोत सुरक्षा निर्धारण कब किया गया था ?

हां या नहीं

5. क्या पोत सुरक्षा निर्धारण में सिफारिश किए गए अनुसार उपांतरण किए गए हैं ?

हां या नहीं

6. एसएसपी को फलक पर कब से कार्यान्वित किया जा रहा है

7. कार्यान्वयन का समय

8. कंपनी द्वारा कम से कम दो मास में एक आंतरिक संपरीक्षा

- हां या नहीं/ लागू नहीं होता
9. दो मास से अधिक ?
- हां या नहीं /लागू नहीं होता
10. क्या पोत सुरक्षा योजना के अनुसार फलक पर पोत पूरक है?
- हां या नहीं
11. क्या संपरीक्षा के दौरान कर्मिंदल परिवर्तन की पर्याप्त मात्रा होगी (>25%)?
- हां या नहीं
12. क्या पोत डार्क ऑवर के दौरान दीपसज्जा के सत्यापन के लिए उपलब्ध होगा?
- हां या नहीं
13. क्या पोत परिचालनात्मक अवस्था में है ?
- हां या नहीं
14. क्या सुरक्षा अभ्यास किए गए हैं ?
- हां या नहीं
15. क्या कंपनी सुरक्षा अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड का भाग क13.1 और भाग ख 13.2 के अनुसार सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है?
- हां या नहीं
16. क्या पोत परिवहन महानिदेशालय परिपत्र और अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना के अनुसार न्यूनतम सुरक्षा उपस्कर रखता है ?
- हां या नहीं
17. क्या यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य है कि कंपनी लागू तारीख तक पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली फलक पर लगाने का आशय रखती है ?
- हां या नहीं
18. पूर्ववर्ती संपरीक्षा से बकाया अननुरूपता, यदि लागू हो
- हां या नहीं /लागू नहीं होता ।
19. आवधिक संपरीक्षा: प्रस्तावित संपरीक्षा तारीख विंडो अवधि के भीतर हैं ?
- हां या नहीं/ लागू नहीं होता
- नवीकरण संपरीक्षा: विद्यमान अंतरराष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र /पोत सुरक्षा कंपनी की समय-सीमा समाप्त हो गई है (यदि हां, तो महानिदेशालय से प्राधिकार अपेक्षित है)
- हां या नहीं/ लागू नहीं होता
20. जो उचित हो उसे हटा दें।

भाग-ड.

अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा सत्यापन लॉग
अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा

पोत :

तारीख:

संपरीक्षक का नाम :			
संपरीक्षा के प्रकार : प्रारंभिक या अंतरिम या मध्यवर्ती या नवीकरण या अतिरिक्त या अनुवर्ती*			
कंपनी का नाम : (सतत सारांश के अनुसार अभिलेख)			
पोत सत्यापन के ब्यौरे :			
पोत का नाम	अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन संख्या	संपरीक्षा में भूमिका (टीम लीडर या सदस्य या एकल संपरीक्षक)	टीम में कुल संख्या
संपरीक्षा का स्थान : मुंबई		लेखापरीक्षिती द्वारा सत्यापन: (नाम, हस्ताक्षर, पद, मुहर और तारीख)	
तारीख			

*जो उचित हो उसे हटा दें

पोत परिवहन महानिदेशालय

अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड अननुपालन रिपोर्ट : अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा

सत्यापन का प्रकार : अंतरिम या प्रारंभिक या नवीकरण या मध्यवर्ती अतिरिक्त*		
कंपनी का नाम:	अननुरूपता सं. :	
पोत का नाम :	अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन सं. :	
विभाग	अनुभाग	तारीख :
अननुपालन	सुरक्षा उपस्कर	सुरक्षा प्रणाली
अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड निर्देश :		पोत सुरक्षा योजना निर्देश:
संपरीक्षती /पोत सुरक्षा अधिकारी/ मास्टर	टीम लीडर	संपरीक्षा टीम सदस्य
सुधारात्मक कार्रवाई की सूचना		
पोत सुरक्षा अधिकारी /मास्टर :		प्रस्तावित समापन तारीख:
		वास्तविक समापन तारीख :
अनापत्ति रिपोर्ट		तारीख :
(वाणिज्यिक समुद्री विभाग या पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा पूरा किया जाए)		

अनुसूची – 5
[नियम 23 देखें]

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वाणिज्यिक समुद्री विभाग

अंतरराष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या: अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के उपबंधों के अधीन जारी किया गया वाणिज्यिक समुद्री विभाग/ अंतरराष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र

पोत का नाम : भारतीय समुद्रीय संगठन संख्या:

सुभिन्न संख्या या अक्षर : रजिस्ट्री पत्तन:

पोत का प्रकार : सकल टनभार:

कंपनी की नाम और पता :

कंपनी पहचान सं. :

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. पोत की सुरक्षा प्रणाली और किसी सहयुक्त सुरक्षा उपस्कर का अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क की धारा 19.1 के अनुसार सत्यापन किया गया है ;
2. सत्यापन में दर्शाया गया है कि पोत की सुरक्षा प्रणाली और कोई सहयुक्त सुरक्षा उपस्कर सभी प्रकार से संतोषप्रद है और पोत अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड सोलास कन्वेंशन के अध्याय 11-2 और भाग क की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करता है ;
3. पोत को अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना प्रदान की गई ।
प्रारंभिक या नवीकरण सत्यापन की तारीख जिस पर प्रमाणपत्र आधारित है: दिदि/मामा/वववव को यह प्रमाणपत्र अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क की धारा 19.1.1 के अनुसार सत्यापन के अध्यधीन दिदि/ मामा/ वववव तक विधिमान्य है ।

कहां जारी किया गया: मुंबई
(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

जारी करने की तारीख: दिदि/ मामा/ वववव

.....
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

(जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर या स्टॉप, जो उचित हो)

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वाणिज्यिक समुद्री विभाग

पोत का नाम: अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन

सं.:

मध्यवर्ती सत्यापन के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क की धारा 19.1.1 की अपेक्षानुसार मध्यवर्ती सत्यापन पर, पोत को कन्वेंशन के अध्याय 11-2 और अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करते हुए पाया गया था।

मध्यवर्ती सत्यापन

.....पदाधिकारी)

(प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख:

(प्राधिकारी की मुहर या स्टॉप, जो उचित हो)

अतिरिक्त सत्यापन के लिए पृष्ठांकन

अतिरिक्त सत्यापन

हस्ताक्षरित :

(प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख : (प्राधिकारी की मुहर या स्टॉप, जो उचित हो)

अनुसूची -VI

[नियम 29 देखें]

जलयान के लिए सुरक्षा की पूर्व आगमन अधिसूचना

यह प्ररूप जलयान के आगमन से कम से कम 96 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

पोत की विशिष्टियां और संपर्क ब्यौरे			
	1.1 पोत का नाम		
1.2 पोत की रजिस्ट्री	1.3 फ्लैग स्टेट		
1.4 कॉल साइन	1.5 समुद्रीय मोबाइल सेवा पहचान सं.	1.6 सकल टनभार	
1.7 स्वामी का नाम			
1.8 स्वामी के संपर्क ब्यौरे 24 X 7 घंटे नामटेली सं.			
2. पोत और पत्तन सुविधा जानकारी			
2.1 पोत का आगमन और पत्तन सुविधा जहां पोत को लंगर डालना है, यदि ज्ञात हो			
2.2 पत्तन में पोत के आगमन की प्रत्याशित तारीख और समय			
2.3 कॉल का प्रारंभिक प्रयोजन : कृपया प्रयोजन विविनिर्दिष्ट करें :			
3. पोत के अवस्थान का समय जब रिपोर्ट की जाती है अक्षांशदेशांतर या पत्तन.....			

3.1 अंतिम 5 कॉलों को कालानुक्रमिक क्रम में अभी हॉल ही की कॉल को सबसे पहले ऐसी पत्तन सुविधाओं पर सूचीबद्ध करें, जिन पर पोत ने उस सुरक्षा स्तर पर जिस पर पोत प्रचालित किया, के साथ पोत या पत्तन अंतरापृष्ठ का संचालन किया

क्रम सं.	तारीख		पत्तन, देश	सुरक्षा स्तर
	से	तक		
1				
2				
3				
4				
5				
6	पोत कर्मिदल की प्रति और यात्री सूची			

यह प्ररुप जलयान के आगमन से कम से कम 96 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए

7	सुरक्षा संबंधी अन्य जानकारी
7.1	क्या कोई सुरक्षा संबंधी मामला है जिसकी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं हां, नहीं
7.1.1	यदि 7.1 का उत्तर हां है, तो ब्यौरे दें।

अनुसूची - 7
(नियम 31 देखिए)
फीस का पैमाना और मान

क्रम सं.	मद	प्रवर्ग	फीस और मान
क. पोत परिवहन कंपनी या जलयान -:			
1.	पोत सुरक्षा योजना	पोत सुरक्षा योजना- स्थोरा पोत का अनुमोदन	1,25,000 रु.
2.		पोत सुरक्षा योजना- यात्री पोत का अनुमोदन	1,30,000 रु.
3.		पोत सुरक्षा योजना का संशोधन और पुनर्विलोकन	50,000 रु.
4.	सतत सारांश अभिलेख	सतत सारांश अभिलेख का जारी किया जाना	50,000 रु.
5.		सतत सारांश अभिलेख का संशोधन	25,000 रु.
6.	अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र	अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के लिए सत्यापन संपरीक्षा आगमन (प्रति आगमन)	8,000 रु.
7.		अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र का जारी किया जाना	15,000 रु.
8.		अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र का विस्तार या पृष्ठांकन	15,000 रु.
9.	अन्य फीस	अर्हित कंपनी सुरक्षाधिकारी के बिना प्रचालन करने वाली या कंपनी सुरक्षा अधिकारी या अनुकल्पी कंपनी सुरक्षाधिकारी के मिथ्या नाम की घोषणा करने वाली कंपनी	(क) 5,00,000 रु. (ख) पुनरावृत अननुपालन के लिए 5,00,000 रु. अतिरिक्त .रु 000 फीस और अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र की निकासी
10.		पोत सुरक्षा योजना का गुम हो जाना	1,00,000 रु. (क) कंपनी सुरक्षा अधिकारी नई पोत सुरक्षा योजना बनाएगा और तुरंत पूर्वतर पासवर्ड या कूट शब्द या संपर्क ब्यौरे या गोपनीय डाटा बदलेगा और इसकी रिपोर्ट पोत परिवहन महानिदेशालय को करेगा। अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना व्यवस्थित की जानी है जिससे इसे पोत से शीघ्रतया संबद्ध किया जा सके; (ख) नई पोत सुरक्षा योजना के अनुमोदन के लिए फीस, क्षति की दशा में, सामान्य फीस से 1.5 गुणा अधिक होगी अर्थात् :- (i) स्थोरा पोत के लिए 1,87,500 रु. (ii) यात्री पोत के लिए 1,95,000 रु.

11.		अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र वापस लेना	8,00,000 रु.
12.		नियत अवधि से परे पोत की बाह्य सुरक्षा संपरीक्षा करना और समाप्त अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र सहित पोत नौचालन	3,00,000 रु.
13.		यदि कंपनी समय पर (सम्यक तारीख से 6 मास पूर्व) संपरीक्षा के लिए अनुरोध करती है और मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन संपरीक्षा के लिए पोत का निरीक्षण करने में असमर्थ है	कोई शुल्क नहीं
14.		बहु कंपनियों में लगा हुआ कंपनी सुरक्षा अधिकारी	2,50,000 रु.
15.		समाप्त अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के साथ नौचालन पोत	वैध अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए जाने तक जलयान का अवरोधन और इसके स्वामी द्वारा संदत्त की जाने वाली अतिरिक्त फीस 8,00,000 रु.
16.		मिथ्या पड़ाव पत्तन जैसी गलत जानकारी या सुरक्षा की पूर्व आगमन अधिसूचना में अन्य मिथ्या जानकारी घोषित करने वाला पोत	पड़ाव के सही पत्तन या पताका पृष्ठांकन सहित सही जानकारी की घोषणा तक जलयान का अवरोधन और 2,00,000 रु. की अतिरिक्त फीस का संदाय स्वामी द्वारा किया जाए।
17.		पोत सुरक्षा उपस्कार का रखरखाव न करने वाला या उसको कब्जे में न रखने वाला पोत	अवरोधन और 1,00,000 रु. प्रति त्रुटिपूर्ण उपस्कार या गुमशुदा उपस्कार
18.		मिथ्या नाम / मिथ्या काल चिह्न/ मिथ्या पोत आंकड़ों से युक्त पाई जाने वाली पोत स्वचालित पहचान प्रणाली	पोत सुरक्षा उपस्कार के चालू होने तक या फिट किए जाने तक जलयान का अवरोधन और 1,00,000 रु. प्रति त्रुटिपूर्ण या गुमशुदा उपस्कार का संवाय स्वामी द्वारा किया जाए।
19.		सुरक्षा या छिपकर जहाज में यात्रा करने की घटनाएं जिन्हें मास्टर या कंपनी सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट नहीं किया गया।	2,00,000 रु.
20.		समय पर न की गई आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा	1,00,000 रु.
21.		पोत की अगली बाह्य सुरक्षा संपरीक्षा में पुनरावृत्त संप्रेक्षण या अननुरूपता	2,00,000 रु. जिसके पश्चात् 6 मास के बाद अतिरिक्त बाह्य संपरीक्षा
ख. महापत्तन और गैर महापत्तन			
22.	पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण का अनुमोदन	500 मी. घाट लंबाई से कम के पत्तनों के लिए	50,000 रु.
23.		500 मी. से 1000 मी. घाट लंबाई वाले पत्तनों के लिए	1,00,000 रु.
24.		1000 मी. घाट लंबाई से अधिक पत्तनों के लिए	1,50,000 रु.

25		लंगरगाह पत्तनों के लिए	50,000 रु.
26		एकल प्लव नौबंध पत्तनों के लिए	1,00,000 रु.
27	पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना का अनुमोदन	500 मी. घाट लंबाई से कम के पत्तनों के लिए	1,00,000 रु.
28		500 मी. से 1000 मी. तक घाट लंबाई वाले पत्तनों के लिए	1,50,000 रु.
29		1000 मी. घाट लंबाई से अधिक पत्तनों के लिए	2,00,000 रु.
30		लंगरगाह पत्तनों के लिए	1,00,000 रु.
31		एकल प्लव नौबंध पत्तनों के लिए	1,50,000 रु.
32			मूल्यांकन या योजना का संशोधन या पुनर्विलोकन
33	अन्य फीसें	अर्हित पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी के बिना प्रचालित करने वाला या पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी या उप पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी का मिथ्या नाम घोषित करने वाला पत्तन	1,00,000 रु.
34		महानिदेशक से अनुमोदित संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के बिना पाए गए पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी	2,00,000 रु.
35		पत्तन सुविधा सुरक्षा संपरीक्षा के दौरान किए गए संप्रेक्षणों पर नियत समय सीमा के भीतर समाधान न करने वाली या अनुपालन न करने वाली पत्तन सुविधाएं	2,00,000 रु.
36		नियत अवधि के भीतर पत्तन सुविधा सुरक्षा संपरीक्षा का वार्षिक या नवीकरण न करने वाला पत्तन	2,00,000 रु.
37		बहुपत्तन सुविधाओं के लिए पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों के रूप में कार्य करने वाला	2,50,000 रु.
38		पत्तन सुविधा सुरक्षा मूल्यांकन या पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना का गुम होना	5,00,000 रु.
39		अंतर्राष्ट्रीय या तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के कब्जे के बिना गोदी पर पोतों को अनुज्ञात करने की पत्तन सुविधा।	2,00,000 रु.
40		सुरक्षा की गलत पूर्व आगमन अधिसूचना की घोषणा सहित पोतों को अनुज्ञात करने वाली और पोत परिवहन महानिदेशालय को सूचित न करने वाली पत्तन सुविधा	2,00,000 रु.
41		सुरक्षा की घोषणा का आदान प्रदान करने के लिए इंकार करने वाला पत्तन	1,00,000 रु.
42		पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा पोत परिवहन महानिदेशालय को रिपोर्ट न की गई सुरक्षा या छिपकर यात्रा करने की घटनाएं	2,00,000 रु.

43		समय पर संचालित न की गई आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा	1,00,000 रु.
44		पत्तन की आगामी बाह्य सुरक्षा संपरीक्षा में पुनरावृत्त संप्रेक्षण या अननुरूपता	2,00,000 रु. जिसके पश्चात् 6 मास के बाद अतिरिक्त बाह्य संपरीक्षा

[फा. सं. एसटी-16011/4/2022-एमए]

राजेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

New Delhi, the 19th June, 2024

G.S.R. 84.—In exercise of the powers conferred by sections 344M, 344N, 344Q, 344R, 344S and 344T read with section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government, having regard to the provisions of the Safety Convention, here by makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Ships and Port Facility Security) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — Unless otherwise expressly provided, these rules shall apply to —

(a) any Indian ship regardless of its type, wherever it may be:

Provided that for the purposes of this sub rule, such application shall be determined in accordance with Schedule - I;

(b) any ship other than an Indian ship referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 344J calling at any Indian port or any Indian offshore facility or at anchorage; or

(c) to any Indian port facility.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) “audit” means a method or process of systematic and independent verification by obtaining objective evidence to determine whether the port facility-related or ship-related security activities comply with the applicable requirements of Safety Convention considering the approved security plan as criteria;

(c) “Auditor” means a surveyor appointed under section 9 of the Act or a surveyor of a recognised security organisation, who has the qualification and experience specified by the Designated Authority;

(d) “approved training institute” shall have the same meaning assigned to it in clause (8) of rule 4 of the Merchant Shipping (Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers) Rules, 2014;

(e) “Company Security Officer” means the person designated by a company for ensuring —

(i) ship security assessment;

(ii) development of ship security plan and submission of such plan for approval;

(iii) implementation of ship security plan;

(iv) maintenance of ship security; and

(v) liaison with port facility security officers

(f) “contracting government” means a government of any country that has agreed to be bound by the Safety Convention;

- (g) “Designated Authority” means the Director General of Shipping defined in clause (8) of section 3 of the Act;
- (h) “International Ship Security Certificate” means a certificate issued by the Designated Authority or his authorised person, in accordance with these rules or the International Ship and Port Facility Security Code;
- (i) “Mercantile Marine Department” means the Mercantile Marine Department established under section 8 of the Act;
- (j) “oil tanker” means a ship constructed or adapted primarily to carry oil in bulk in its cargo spaces and includes combination carriers;
- (k) “Port Facility Security Advisory Committee” means a committee constituted under rule 19;
- (l) “port facility security assessment” means a port facility security assessment undertaken in accordance with rule 17;
- (m) “Port Facility Security Officer” means a person designated as responsible for the development, implementation, revision and maintenance of the port facility security plan and for liaison with the ship security officers and company security officers;
- (n) “port facility security plan” means a plan to ensure the application of measures designed to protect the port facility and ships, persons, cargo, cargo transport units and stores of ship within the port facility from the risks of a security incident;
- (o) “recognised security organisation” shall have the meaning assigned to it in clause (f) of section 344K of the Act;
- (p) “Schedule” means Schedules annexed to these rules;
- (q) “security incident” means any suspicious act or circumstance threatening the security of a ship, including a mobile offshore drilling unit and a high-speed craft, or of a port facility or of any ship or port interface, or any ship-to-ship activity;
- (r) “security level 1” means the level for which minimum appropriate protective security measures shall be maintained at all times;
- (s) “security level 2” means the level for which appropriate additional protective security measures shall be maintained for a period of time as a result of heightened risk of security incident;
- (t) “security level 3” means the level for which further specific security measures shall be maintained for a limited period of time when a security incident is probable or imminent, although it may not be possible to identify the specific target;
- (u) “ship” includes vessel, mobile offshore drilling units, high speed craft, floating production storage and offloading, floating storage and regasification unit.

Explanation.— For the purposes of this clause, the term “vessel” shall include every description of water craft used or capable of being used in the marine environment, such as ship, boat, sailing vessel, fishing vessel, submersible, semi-submersible, hydrofoils, non-displacement crafts, amphibious crafts, wing-in-ground crafts, pleasure crafts, barges, lighters, mobile offshore drilling units, mobile offshore units, or of any other description, whether fitted with mechanical means of propulsion or not.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in Part IX B of the Act, or the International Ship and Port Facility Security Code, or the Safety Convention.

4. Responsibility of designated authority. – The Designated Authority shall be responsible for the following matters, namely: —

- (a) to ensure that appropriate measures are in place to avoid unauthorised disclosure of, or access to, security sensitive material relating to ship security assessments, ship security plans, port facility security assessments and port facility security plans, and to individual assessments or plans;

- (b) to set the applicable security level for ships;
- (c) to set the applicable security level for port;
- (d) to conduct port facility security assessment;
- (e) to approve a port facility security assessment report or any amendment there to;
- (f) to approve a port facility security plan or any amendment there to;
- (g) to exercise control and compliance measures in pursuance of regulation XI-2/9 of the Safety Convention;
- (h) to establish the requirements for a Declaration of Security
- (i) to communicate information regarding any security breach incident and relevant mitigation methods to the International Maritime Organisation and to place it in public domain.

5. Declaration of security. — (1) The Designated Authority shall determine as to when a Declaration of Security is required, by assessing the risk, the ship or port interface, or ship to ship activity, poses to persons, property or environment.

(2) A ship may request completion of a Declaration of Security in the following circumstances, namely:—

- (a) the ship is operating at a higher security level than the port facility, or another ship it is interfacing with;
or
- (b) there is an agreement on Declaration of Security between contracting governments covering certain international voyages or specific ships on those voyages; or
- (c) there has been a security threat or a security incident involving the ship, or involving the port facility, as applicable; or
- (d) the ship is at a port which is not required to have and implement an approved port facility security plan;
or
- (e) the ship is conducting ship to ship activities with another ship not required to have and implement an approved Ship Security Plan.

(3) Any request for the completion of a Declaration of Security shall be acknowledged by the applicable port facility or ship in accordance with the format specified in Schedule - III.

(4) The Declaration of Security shall be completed by the —

- (a) Master or the Ship Security Officer on behalf of the ship; and,
- (b) Port Facility Security Officer or, if the Designated Authority determines otherwise, by any other body responsible for shore-side security, on behalf of the port facility.

(5) The Declaration of Security shall address the security requirements that could be shared between a port facility and a ship or between ships, and shall state the responsibility for each.

(6) Ships shall keep records of the Declaration of Security for a minimum period of three years.

(7) A change in the security level may require that a new or revised Declaration of Security be completed.

(8) The Declaration of Security shall be completed in English.

6. Obligation of company. — Every company shall fulfill the following responsibilities, namely: —

- (a) ensuring that the ship security plan contains a clear statement emphasising the authority of the Master;

- (b) providing in the ship security plan that the Master has the overriding authority and responsibility to make decision with respect to the safety and security of the ship and to request the assistance of the company or of any contracting government or of Designated Authority, as may be necessary;
- (c) designating a Company Security Officer; and
- (d) ensuring that the Company Security Officer, Master and the Ship Security Officer are given necessary support to fulfil their duties and responsibilities in accordance with the Safety Convention.

7. Obligation of recognised security organisation.— The recognised security organisation shall fulfil the responsibilities as may be specified by the Designated Authority for the purposes of these rules.

8. Ship security. — (1) Every ship shall act upon the security levels set by the Designated Authority.

(2) The following activities shall be carried out, through appropriate measures at security level 1, on all ships taking in order to identify and take preventive measures against security incidents, namely: —

- (a) ensure the performance of all ship security duties;
- (b) control access to the ship;
- (c) control the embarkation of persons and their effects;
- (d) monitor restricted areas to ensure that only authorised persons have access;
- (e) monitor deck areas and areas surrounding the ship;
- (f) supervise the handling of cargo and stores in ship; and
- (g) ensure that security communication is readily available.

(3) The additional protective measures, specified in the ship security plan, shall be implemented at security level 2, for each detailed measure as specified in sub rule (2), taking into account the guidance in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code and the guidelines issued by the Designated Authority in this behalf.

(4) Specific protective measures, specified in the ship security plan shall be implemented at security level 3, for each detailed measure as specified in sub rule (2) taking into account the guidance in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code and the appropriate instructions that may be issued by the Designated Authority for handling security level 3 for ships or ports in the behalf.

(5) Whenever security level 2 or security level 3 is set, the ship shall acknowledge receipt of the instructions on change of the security level.

(6) Prior to entering port, or while in a port, or within the territory of India, where security level 2 or security level 3 is set, the ship shall acknowledge receipt of the instruction and shall confirm to the Port Facility Security Officer, the initiation of the implementation of the appropriate measures and procedures as detailed in the ship security plan and in the case of security level 3, the ship shall do the same in respect of the instructions issued by the Designated Authority.

(7) The ship shall report any difficulties in implementation, and in such cases, the Port Facility Security Officer and Ship Security Officer shall liaise and co-ordinate the appropriate actions.

(8) Where a ship is required by the Designated Authority to set, or is already at, a higher security level than that set for the port it intends to enter or in which it is already located, then the ship shall inform, without delay, the Designated Authority and the port facility security officer of the situation:

Provided that, in such cases, the ship security officer shall liaise with the port facility security officer and coordinate appropriate actions, where necessary.

(9) The Designated Authority requiring Indian ships to set security level 2 or security level 3 in a port of another Government shall inform that Government without delay.

(10) Where the Designated Authority sets security levels and ensures the provision of security level information to ships operating in Indian territorial sea, or having communicated the intention to enter their territorial sea, such ships shall be advised to maintain vigilance and report immediately to the Designated Authority and any nearby country, any information that comes to their attention that might affect maritime security in the that area:

Provided that, when advising such ships of the applicable security level, the Designated Authority shall, also advise those ships of any security measure that they shall take and, where appropriate, of measures that have been taken by the Designated Authority to provide protection against the threat.

9. Ship security assessment. — (1) The Company Security Officer shall ensure that a ship security assessment is carried out for each of the ships in the fleet of the company.

(2) The Company Security Officer shall ensure that the ship security assessment is carried out by persons with appropriate skills to evaluate the security of a ship.

(3) A recognised security organisation may carry out the ship security assessment of a specific ship.

(4) The ship security assessment shall include an on-scene security survey and, at least, the following elements shall be verified, namely: —

- (a) identification of existing security measures, procedures and operations;
- (b) identification and evaluation of key ship board operations, which are important to protect;
- (c) identification of possible threats to the key ship board operations and the likelihood of their occurrence, in order to establish and prioritise security measures; and
- (d) identification of weaknesses, including human factors in the infrastructure, policies and procedures.

(5) The ship security assessment shall be prepared after taking into account the provisions of Part B of the International Ship and Port Facility Security Code.

(6) An initial ship security assessment shall be carried out before the ship is put into service.

(7) The ship security assessment shall be carried out as and when the Designated Authority may deem necessary.

(8) The ship security assessment shall be documented, reviewed, accepted and retained by the company.

10. Ship security plan.— (1) Every ship shall carry on board a ship security plan approved by the Designated Authority:

Provided that such plans shall make provisions for security levels 1, 2 and 3 as provided in these rules and the International Ship and Port Facility Security Code.

(2) The recognised security organisation, undertaking the review of a ship security plan or its amendment, shall not have been involved in either the preparation of the ship security assessment or of the ship security plan, or of the amendments, under review.

(3) The submission of a ship security plan or of amendments to a previously approved plan, for approval shall be accompanied by the security assessment on the basis of which the plan or the amendments have been developed.

(4) Ship security plan shall be prepared and developed, taking into account the guidance given in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code and shall be written in English and the working language or languages of the ship.

(5) The ship security plan shall include the following, namely: —

- (a) measures designed to prevent weapons, dangerous substances and devices intended for use against people, ships or ports and the carriage of which is not authorised from being taken on board the ship;
- (b) identification of the restricted areas and measures for the prevention of unauthorised access;
- (c) measures for the prevention of unauthorised access to the ship;

- (d) procedures for responding to security threats or breaches of security, including provisions for maintaining critical operations of the ship or ship or port interface;
 - (e) procedures for responding to any security instructions the Designated Authority may give at security level 3;
 - (f) procedures for evacuation in case of security threats or breaches of security;
 - (g) duties of shipboard personnel assigned security responsibilities and of other shipboard personnel on security aspects;
 - (h) procedures for auditing the security activities in accordance with Schedule- IV;
 - (i) procedures for training, drills and exercises associated with the ship security plan;
 - (j) procedures for interfacing with port facility security activities;
 - (k) procedures for the periodic review of the ship security plan and for updating;
 - (l) procedures for reporting security incidents;
 - (m) identification of the ship security officer;
 - (n) identification of the Company Security Officer along with twenty-four hour contact details;
 - (o) procedures to ensure inspection, testing, calibration and maintenance of any security equipment provided on board as per Schedule –II;
 - (p) frequency for testing or calibration of any security equipment provided on board, if any;
 - (q) identification of the locations where the ship security alert system activation points are provided; and
 - (r) procedures, instructions and guidance on the use of the ship security alert system, including the testing, activation, deactivation and resetting to limit false alerts.
- (6) The personnel conducting internal audits of the security activities specified in the ship security plan, or evaluating the implementation of such plan, shall be independent of the activities being audited unless it is impracticable due to the size and the nature of the company or ship.
- (7) No changes to an approved ship security plan or to any security equipment specified in an approved plan shall be implemented unless the relevant amendments to the ship security plan are approved by the Designated Authority, and any such changes shall be at least as effective as those measures specified in the Convention and International Ship and Port Facility Security Code.
- (8) The nature of the changes to the ship security plan or the security equipment that has been specifically approved by the Designated Authority shall be documented in a manner that clearly indicates such approval and such approvals shall be made available on board and shall be presented together with the International Ship Security Certificate or the Interim Ship Security Certificate;
- Provided that where the changes are temporary, once the original approved measures or equipment are reinstated, such documentation no longer needs to be retained by the ship.
- (9) The ship security plan may be kept in an electronic format, and in such a case, it shall be protected by procedures aimed at preventing its unauthorised access, deletion, destruction, or an amendment.
- (10) The ship security plan shall be protected from unauthorised access or disclosure.
- (11) Subject to the circumstances specified in sub-rule (12), ship security plans are not subject to inspection by officers duly authorised by the Designated Authority to carry out control and compliance measures in accordance with the Safety Convention and the International Ship and Port Facility Security Code.
- (12) Where the officer duly authorised by the Designated Authority has clear grounds to believe that the ship is not in compliance with the requirements of the International Ship and Port Facility Security Code, and the only means to verify or rectify the non-compliance is to review the relevant requirements of the ship security plan,

limited access to the specific portion of ship security plan relating to the non-compliance shall be allowed, with the prior consent of contracting government or the Master of the ship concerned:

Provided that the provisions of the ship security plan relating to items (b), (d), (e), (g), (o), (q) and (r) of sub rule (5) shall be considered as confidential information and shall not be subject to inspection unless otherwise agreed by contracting government.

11. Ship security alert system.— (1) All Indian registered ships shall be provided with a ship security alert system, as follows, namely:-

- (a) ships constructed on or after the 1st July, 2004;
 - (b) passenger ships, including high-speed passenger craft, constructed before the 1 July 2004 and not later than the first survey of the radio installation after the 1st July 2004;
 - (c) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high-speed craft, of 500 gross tonnages and above constructed before the 1st July, 2004, and not later than the first survey of the radio installation after the 1st July, 2004; and
 - (d) other cargo ships of 500 gross tonnages and above and mobile offshore drilling units constructed before the 1st July, 2004, and not later than the first survey of the radio installation after the 1st July, 2006.
- (2) The ship security alert system, when activated, shall —
- (a) initiate and transmit a ship-to-shore security alert to the concerned company and the centre designated by the Designated Authority, which shall identify the ship, its location and indicate whether the security of the ship is under threat or it has been compromised;
 - (b) not send the ship security alert to any other ship;
 - (c) not raise any alarm on-board the ship; and
 - (d) continue the ship security alert until deactivated or reset.
- (3) The ship security alert system shall —
- (a) be capable of being activated from the navigation bridge and in at least one other location and to be fitted in a safe compartment with a power breakup; and
 - (b) conform to performance standards not inferior to those adopted by the International Maritime Organisation.
- (4) The ship security alert system activation points shall be designed so as to prevent the inadvertent initiation of the ship security alert.
- (5) When an alert is received from Indian registered vessel, the Designated Authority shall contact the ship owner or Company Security Officer and security agency to deal with the security situation.
- (6) On the receipt of the notification of ship security alert from an Indian ship, the centre designated by the Designated Authority shall, in case the vessel is outside India, notify the coastal States in the vicinity of which the concerned ship is operating.

12. Records. — (1) Records of the following activities contained in the ship security plan shall be kept on board for at least a minimum period of three years, or as may be specified by the Designated Authority, taking into account the Safety Convention:

- (a) training, drills, and exercises;
- (b) security threats and security incidents;
- (c) breaches of security;
- (d) changes in security level;

- (e) communications relating to the direct security of the ship such as specific threats to the ship or to port facilities the ship is, or has been;
 - (f) internal audits and reviews of security activities;
 - (g) periodic review of the ship security assessment;
 - (h) periodic review of the ship security plan;
 - (i) implementation of any amendments to the plan; and
 - (j) maintenance, calibration and testing of security equipment, if any including testing of the ship security alert system.
- (2) The records specified in sub rule (1) shall be kept in English and the working language of the ship.
- (3) The records specified in sub-rule (1) may be kept in an electronic format and in such a case, they shall be protected by the procedures aimed at preventing their unauthorised deletion, destruction or amendment.
- (4) The records specified in sub-rule (1) shall be protected from unauthorised access or disclosure.

13. Company Security Officer. — (1) Every company shall designate one or more Company Security Officers.

- (2) A person designated as the Company Security Officer may act as the Company Security Officer for one or more ships, depending on the number or types of ships the company operates:

Provided that, in such a case, it shall be clearly identified for which ships the Company Security Officers shall be responsible.

- (3) A Company Security Officer shall possess the following minimum qualification namely:-

- (a) Management Level Certificate of Competency (Foreign Going) having Merchant Marine Background for company having ships above 500 gross tonnage; and
- (b) Company Security Officer Certificate from an approved training institute:

Provided that, in case of company having ships less than 500 gross tonnage, the Company Security Officer shall have sailing experience on merchant ships with operation level Certificate of Competency (Foreign Going) and shall hold Company Security Officer Certificate from an approved training institute.

- (4) The Company Security Officer shall fulfil the following duties and responsibilities namely: —

- (a) advising on the level of threats likely to be encountered by the ship, using appropriate security assessments and other relevant information;
- (b) ensuring that ship security assessments are carried out;
- (c) ensuring the development, the submission for approval, and there after the implementation and maintenance of the ship security plan and to place it on board of the individual ship;
- (d) ensuring that the ship security plan is modified, as appropriate, to correct deficiencies and satisfy the security requirements of the individual ship;
- (e) arranging for internal audits and reviews of security activities;
- (f) arranging for the initial and subsequent verifications of the ship by the Designated Authority or the recognised security organisation;
- (g) ensuring that deficiencies and non-conformities identified during internal audits, periodic reviews, security inspections and verifications of compliance are promptly addressed and dealt with;
- (h) enhancing security awareness and vigilance;
- (i) ensuring adequate training for the personnel responsible for the security of the ship;
- (j) ensuring effective communication and co-operation between the Ship Security Officer and the relevant Port Facility Security Officers;

- (k) ensuring consistency between security requirements and safety requirements; and
- (l) ensuring that any alternative or equivalent arrangements approved for a particular ship or group of ships are implemented and maintained.

14. Ship Security Officer.— (1) A management level officer of the ship holding Ship Security Officer Certificate from an approved training institute shall be designated as the Ship Security Officer of the ship by the company.

(2) The duties and responsibilities of the Ship Security Officer shall include the following, namely: —

- (i) undertaking regular security inspections of the ship to ensure that appropriate security measures are maintained;
- (ii) maintaining and supervising the implementation of the ship security plan, including any amendments to the plan;
- (iii) coordinating the security aspects of handling of cargo stores in ships with other ship-board personnel and with the relevant port facility security officers;
- (iv) proposing modifications to the ship security plan;
- (v) reporting to the Company Security Officer any deficiencies and non-conformities identified during internal audits, periodic reviews, security inspections and verifications of compliance and implementing any corrective actions;
- (vi) enhancing security awareness and vigilance on-board;
- (vii) ensuring that adequate training has been provided to ship-board personnel, as appropriate;
- (viii) reporting all security incidents;
- (ix) coordinating implementation of the ship security plan with the Company Security Officer and the relevant Port Facility Security Officer; and
- (x) ensuring that security equipment is properly operated, tested, calibrated and maintained, if any.

15. Training, drills and exercise on ship security. — (1) The Company Security Officer and shore based personnel shall hold a Company Security Officer Certificate from an approved training institute taking into account the provisions given in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code.

(2) The Ship Security Officer shall hold a Ship Security Officer Certificate from an approved training institute taking into account the provisions given in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code.

(3) The ship-board personnel having specific security duties and responsibilities shall understand their responsibilities for ship security as described in the ship security plan and shall have sufficient knowledge and ability to perform their assigned duties, taking into account the guidance given in Part B of International Ship and Port Facility Security Code.

(4) To ensure the effective implementation of the Ship Security Plan, drills shall be carried out at least, in every three months interval, taking into account the ship type, ship personnel changes, port facilities to be visited and other relevant circumstances including the guidance given in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code.

(5) The Company Security Officer shall ensure the effective coordination and implementation of ship security plans by participating in exercises at appropriate intervals, taking into account the guidance given in Part B of International Ship and Port Facility Security Code.

16. Port facility security. — (1) A port facility shall act upon the security levels set by the Designated Authority.

(2) Security measures and procedures shall be applied at the port facility in such a manner as to cause a minimum of interference with, or delay to, passengers, ship, personnel of ship and visitors, goods, and services.

(3) The following activities shall be carried out through appropriate measures at security level 1 in all port facilities, taking into account the guidance given in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code, in order to identify and take preventive measures against security incidents, namely: —

- (a) ensuring the performance of all port facility security duties;
- (b) controlling access to the port facility;
- (c) monitoring of the port facility, including anchoring and berthing areas;
- (d) monitoring restricted areas to ensure that only authorised persons have access;
- (e) supervising the handling of cargo;
- (f) supervising the handling of stores in ship ; and
- (g) ensuring that security communication is readily available.

(4) The additional protective measures, specified in the port facility security plan, shall be implemented at security level 2, for each activity specified in sub-rule (3), taking into account the guidance given in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code.

(5) The following shall be implemented at security level 3, namely: —

- (a) specific protective measures specified in the port facility security plan, shall be implemented for each activity specified in sub-rule (4), taking into account the guidance given in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code; and
- (b) port facilities are required to respond to and implement any security instructions as may be given by the Designated Authority.

(6) When a Port Facility Security Officer is advised that a ship encounters difficulties in complying with the requirements of Safety Convention or in implementing the appropriate measures and procedures as detailed in the ship security plan, and in the case of security level 3 following any security instructions given by the Designated Authority, the Port Facility Security Officer and Ship Security Officer shall liaise and co-ordinate appropriate actions.

(7) When a Port Facility Security Officer is advised that a ship is at a security level, which is higher than that of the port facility, the Port Facility Security Officer shall report the matter to the Designated Authority and shall liaise with the Ship Security Officer and co-ordinate appropriate actions, if necessary.

(8) Each port shall have an independent qualified and trained Port Facility Security Officer.

17. Port facility security assessment. — (1) The port facility security assessment is an essential and integral part of the process of developing and updating the port facility security plan.

(2) The port facility security assessment shall be carried out by the Designated Authority or recognised security organisation for all Indian ports:

Provided that where the port facility security assessment is carried out by the recognised security organisation, such port facility security assessment shall be reviewed and approved for compliance with the International Ship and Port Facility Security Code by the Designated Authority.

(3) The Designated Authority or recognised security organisation may nominate a surveyor to carry out the port facility security assessment.

(4) The persons carrying out the assessment shall have appropriate skills to evaluate the security of the port facility in accordance with this section, taking into account the guidance given in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code.

(5) The port facility security assessments shall periodically be reviewed and updated, taking into account of changing threats or minor changes in the port facility and shall always be reviewed and updated when major changes to the port facility take place.

- (6) The port facility security assessment shall include the following elements, namely: —
- (a) identification and evaluation of important assets and infrastructure it is important to protect;
 - (b) identification of possible threats to the assets and infrastructure and the likelihood of their occurrence, in order to establish and prioritise security measures;
 - (c) identification, selection and prioritisation of counter measures and procedural changes and their level of effectiveness in reducing vulnerability; and
 - (d) identification of weaknesses, including human factors in the infrastructure, policies, and procedures.
- (7) The Designated Authority may allow a port facility security assessment to cover more than one port facility if the operator, location, operation, equipment and design of these port facilities are similar.
- (8) Upon completion of the port facility security assessment, a report shall be prepared, consisting of a summary of how the assessment was conducted, a description of each vulnerability found during the assessment and a description of counter measures that may be used to address each vulnerability.
- (9) The report prepared under sub-rule (8) shall be protected from unauthorised access or disclosure.

- 18. Port facility security plan.**— (1) Every port shall prepare the port facility security plan of a specific port facility.
- (2) Preparation and implementation of the port facility security plan shall be the responsibility of the Port Facility Security Officer.
- (3) A port facility security plan shall be developed and maintained, on the basis of a port facility security assessment, for each port facility, adequate for the concerned ship or port interface.
- (4) The port facility security plan shall make provisions for the security level- 1, security level- 2 and security level- 3.
- (5) The port facility security plan shall be approved by the Designated Authority.
- (6) The port facility security plan shall be developed taking into account the guidance given in Part B of International Ship and Port Facility Security Code and shall be in English.
- (7) The Port Facility Security Plan shall include the following matters, namely: —
- (a) measures designed to prevent weapons or any other dangerous substances and devices intended for use against people, ships or ports and the carriage of which is not authorised, from being introduced into the port facility or on board a ship;
 - (b) measures designed to prevent unauthorised access to the port facility, to ships moored at the facility, and to restricted areas of the facility;
 - (c) procedures for responding to security threats or breaches of security, including provisions for maintaining critical operations of the port facility, or ship or port interface;
 - (d) procedures for responding to any security instructions the contracting government, in whose territory the port facility is located, may give at security level 3;
 - (e) procedures for evacuation in case of security threats or breaches of security;
 - (f) duties of port facility personnel assigned security responsibilities and of other facility personnel on security aspects;
 - (g) procedures for interfacing with ship security activities;
 - (h) procedures for the periodic review of the plan and updating;
 - (i) procedures for reporting security incidents;
 - (j) identification of the port facility security officer along with twenty-four hour contact details;
 - (k) measures to ensure the security of the information contained in the plan;

- (l) measures designed to ensure effective security of cargo and the cargo handling equipment at the port facility;
 - (m) procedures for auditing the port facility security plan;
 - (n) procedures for responding in case the ship security alert system of a ship at the port facility has been activated; and
 - (o) procedures for facilitating shore leave for personnel of the ship or personnel changes, as well as access of visitors to the ship including representatives of seafarers' welfare and labor organisations.
- (8) The personnel conducting internal audits of the security activities specified in the plan or evaluating its implementation shall be independent of the activities being audited unless this is impracticable due to the size and the nature of the port facility.
- (9) The Designated Authority shall determine which changes to the port facility security plan shall not be implemented unless the relevant amendments to the plan are approved by them.
- (10) The port facility security plan may be kept in an electronic format, and in such a case, it shall be protected by the procedures aimed at preventing its unauthorised deletion, destruction, or amendment.
- (11) The port facility security plan shall be protected from unauthorised access or disclosure.
- (12) The Designated Authority may allow a port facility security plan to cover more than one port facility if the operator, location, equipment and design of these port facilities are similar.
- (13) In case alternative arrangement with respect to the port facility security plan has been allowed, the particulars of the same shall be communicated to the International Maritime Organisation by the Designated Authority.

19. Port Facility Security Advisory Committee. — (1) The Port Facility Security Advisory Committee shall consist of one representative from each of the following, namely: —

- (a) Port Facility Security Officer of the respective ports;
 - (b) Customs Department;
 - (c) Narcotics Control Bureau;
 - (d) Central Intelligence Agencies;
 - (e) State Intelligence Agencies;
 - (f) Central Industrial Security Forces;
 - (g) Local Police;
 - (h) Immigration Department;
 - (i) Indian Navy;
 - (j) Indian Coast Guard;
 - (k) State Maritime Security Coordinator; and
 - (l) any other concerned agency of the Central Government or State Government, as deemed fit by the Chairman or Chief Executive Officer of the concerned port.
- (2) The Chairman of major port shall head the Port Facility Security Advisory Committee and chair any meeting thereof.
- (3) In case of non-major ports, head of the Maritime Board or the concerned State Government with respect to the functioning of the non-major port shall chair the Port Facility Security Advisory Committee of all Ports under their jurisdiction:

Provided that, due to unavoidable circumstances where the meeting of the Port Facility Security Advisory Committee of some smaller ports (non-Exim or non-container ports) is chaired by the nominee of the Chief

Executive Officer or Secretary of the Maritime Board or the State Government, the report of Port Facility Security Advisory Committee shall be approved by the Chief Executive Officer or Secretary.

(4) The Port Facility Security Advisory Committee shall meet at least once in every six months for security review of the Port:

Provided that the Port Facility Security Advisory Committee shall meet at more frequent intervals depending on the threat perception of the concerned port, if required.

(5) The newly constituted Port Facility Security Advisory Committee shall review the approved Port Facility Security Plan of the port:

Provided that the suggestions of custom and Narcotics Control Bureau with regard to the Port Facility Security plan shall be considered by the Port Facility Security Advisory Committee:

Provided further that any proposed corrections accepted by Port Facility Security Advisory Committee shall be incorporated in the port facility security plan and the same shall be forwarded to the Jurisdictional Mercantile Marine Department for examination and approval after review by the recognised security organisation.

(6) In case of new port, such port shall constitute a Port Facility Security Advisory Committee: Provided that the views of all port facility security advisory committee members shall be taken while port facility security plan is prepared for such port:

Provided further that the members of Port Facility Security Advisory Committee shall ensure that their concerns are addressed adequately in the port facility security plan:

Provided also that the port facility security plan shall be vetted by the Port Facility Security Advisory Committee before it is forwarded for submission to the jurisdictional Mercantile Marine Department for verification and approval after it is reviewed by recognised security organisation.

(7) After the review of the port facility security plan in accordance with, the concerned port needs to approach to the jurisdictional Mercantile Marine Department or other suitable authority assigned by the Designated Authority for the security audit for issuance of statement of compliance or annual verification, as may be applicable.

20. Port Facility Security Officer. — (1) A Port Facility Security Officer shall be designated for each port facility.

(2) The duties and responsibilities of the Port Facility Security Officer shall include the following matters, namely: —

- (a) conducting an initial comprehensive security survey of the port facility taking into account the relevant port facility security assessment;
- (b) ensuring the development and maintenance of the port facility security plan;
- (c) implementing and exercising the port facility security plan;
- (d) undertaking regular security inspections of the port facility to ensure the continuation of appropriate security measures;
- (e) recommending and incorporating, as appropriate, modifications to the port facility security plan in order to correct deficiencies and to update the plan to take in to account of relevant changes to the port facility;
- (f) enhancing security awareness and vigilance of the port facility personnel;
- (g) ensuring adequate training to be provided to personnel responsible for the security of the port facility;
- (h) reporting to their relevant authorities and maintaining records of occurrences which threaten the security of the port facility;
- (i) coordinating implementation of the port facility security plan with the appropriate company and ship security officers;

- (j) coordinating with security services, as may be appropriate;
 - (k) ensuring that standards for personnel responsible for security of the port facility are met;
 - (l) ensuring that security equipment is properly operated, tested, calibrated and maintained;
 - (m) assisting Ship Security Officers in confirming the identity of those seeking to board the ship when requested;
 - (n) coordinating through the State Maritime Security Coordinators with local maritime security agencies (Indian Navy or Coast Guard or Security Management Plan) for being appraised on the coastal security levels in force and also to appraise the maritime security agencies of any incidents or upgrading or downgrading of Port Security Level 1 or Port Security Level 2 or Port Security Level 3; and
 - (o) implementing and exercising the port facility security plan.
- (3) The port shall be responsible for providing the port facility security officer to fulfill the duties and responsibilities under the Safety Convention, International Ship and Port Facility Security Code and these rules.
- (4) The qualification of Port Facility Security Officer shall be as under, namely: —
- (a) for major port, the Port Facility Security officer shall possess Management Level Certificate of Competency (Foreign Going) having Merchant Marine Background;
 - (b) for non-major ports with Quay length of three hundred meters and above, the Port Facility Security Officer shall fulfil the following requirements, namely: -
 - (i) he shall possess Management level Certificate of Competency (Foreign Going); or
 - (ii) if employing ex-servicemen, such person should have served in a post not below the rank of Commander in the Indian Navy, or equivalent in the Indian Coast Guard;
 - (c) for non-major ports with Quay length of three hundred meters and below, the Port Facility Security Officer shall fulfil the following requirements, namely: -
 - (i) he shall have sailing experience on merchant ship at the level of Operation Level Officer; or
 - (ii) if employing ex-servicemen, such person should have served in a post not below their rank of Lieutenant Commander in the Indian Navy, or equivalent in the Indian Coast Guard.
- (5) The Port Facility Security Officer shall be given the necessary support to fulfil the duties and responsibilities under the Safety Convention.
- (6) The port shall engage one Deputy Port Facility Officer having the following qualifications, namely: —
- (i) the Deputy Port Facility Security Officer shall possess management level Certificate of Competency (Foreign Going) having merchant marine background; or
 - (ii) operation level Certificate of Competency (Foreign Going); or
 - (iii) Port Facility Security Officer Certificate; or
 - (iv) Commission officer from the Indian Navy and the Indian Coast Guard with Port Facility Security Officer course.
- (7) The Port Facility Security Officer and appropriate port facility security personnel shall have knowledge and have received training, taking into account the guidance given in Part B of International Ship and Port Facility Security Code.

21. Training, drills and exercise on port facility security. — (1) The port facility security officer and appropriate port facility security personnel of the port shall have knowledge and received training in accordance with section 18 of the International Ship and Port Facility Security Code and taking into account guidance given in Part B of the said Code.

(2) To ensure the effective implementation and coordination of the port facility security plan, drills shall be carried out at appropriate intervals taking into account the types of operations of the port facility, port facility personnel changes, the type of ship the port facility is serving and other relevant circumstances, taking into account guidance given in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code.

(3) The Port Facility Security Officer shall ensure the effective co-ordination and implementation of the port facility security plan by participating in the exercise at appropriate intervals, taking into account the guidance given in Part B of the International Ship and Port Facility Security Code.

(4) The Port Facility Security Officer shall ensure appropriate participation of the Port Facility Security Organisation (without impinging on the commercial activities of the port in all coastal or port or maritime security related exercises convened by Maritime Security Agencies Indian Navy or Coast Guard or Security Management Plan) from time to time with sufficient notice period.

22. Verification.— (1) Every ship to which Part A of the International Ship and Port Facility Security Code applies, shall be subject to the verifications specified below, namely : —

- (a) an initial verification before the ship is put in service, or before the certificate required under these rules is issued for the first time, which shall include a complete verification of its security system and any associated security equipment covered by the relevant provisions of the Safety Convention, Part A of the International Ship and Port Facility Security Code and the approved ship security plan so as to ensure that the security system and any associated security equipment of the ship fully complies with the applicable requirements of the Safety Convention and Part A of the International Ship and Port Facility Security Code, and is in satisfactory condition, fit for the service for which the ship is intended;
- (b) renewal verification at intervals specified by the Designated Authority, but not exceeding five years, except as otherwise specified in these rules so as to ensure that the security system and any associated security equipment of the ship fully complies with the applicable requirements of Conventions and Part A of the International Ship and Port Facility Security Code and the approved ship security plan and is in satisfactory condition, fit for the service for which the ship is intended;
- (c) at least one intermediate verification to be endorsed on the certificate shall be carried out which is to take place between the second and third anniversary date of the certificate and shall include inspection of the security system and any associated security equipment of the ship so as to ensure that it remains satisfactory for the service for which the ship is intended:

Provided that for the purposes of this clause, such intermediate verification shall be endorsed on such certificate; and

- (d) any additional verification as determined by the Designated Authority.

(2) The verifications specified in sub-rule (1) shall be carried out by officers of the Designated Authority in accordance with Schedule IV.

Provided that the Designated Authority may entrust the verifications to a recognised security organisation or Principal Officer at the jurisdictional Mercantile Marine Department.

(3) The Designated Authority shall fully guarantee the completeness and efficiency of the verification and shall undertake necessary arrangements to satisfy the obligation.

(4) The security system and any associated security equipment of the ship after verification shall be maintained to conform other provisions of the Safety Convention and Part A of International Ship and Port Facility Security Code and the approved ship security plan:

Provided that, pursuant to any verification, no changes shall be made in security system and in any associated security equipment or the approved ship security plan without the sanction of the Designated Authority.

23. Issue or endorsement of International Ship Security Certificate. — An International Ship Security Certificate shall be issued in the format specified in Schedule-V after the initial or renewal verification and shall be issued or endorsed either by the Designated Authority or by the recognised security organisation or by the jurisdictional Mercantile Marine Department: Provided that another contracting government may, at the request of the Designated Authority, cause the ship to be verified and, if satisfied that the provisions of the International Ship and Port Facility Security Code are complied with, shall issue or authorise the issue of an International Ship Security certificate to the ship and, where appropriate, endorse or authorise the endorsement of that certificate on the ship, in accordance with these rules:

Provided further that a copy of the certificate and a copy of the verification report shall be transmitted as soon as possible to the requesting contracting government:

Provided also that a certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the contracting government and it shall have the same force and receive the same recognition as the certificate issued by the Designated Authority.

24. Duration and validity of certificate. — (1) An International Ship Security Certificate shall be issued for a period specified by the Designated Authority, which shall not exceed five years.

(2) Where the renewal verification is completed within and more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal verification to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate.

(3) Where the renewal verification is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal verification to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate.

(4) If a certificate is issued for a period of less than five years, the Designated Authority may extend the validity of such certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in the International Ship and Port Facility Security Code:

Provided that the verifications referred to in the International Ship and Port Facility Security Code, as applicable, are carried out as appropriate when a certificate is issued for a period of five years.

(5) If a renewal has been completed and a certificate is not issued or placed on board the ship before the expiry date of the existing certificate, the Designated Authority, or the recognised security organisation, or the Mercantile Marine Department may endorse the existing certificate and such certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed five months from its expiry date.

(6) If a ship, at the time when a certificate expires, is not in a port in which it is to be verified, the Designated Authority may extend the period of validity of such certificate:

Provided that such extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is verified, and only in cases where it appears proper and reasonable to do so:

Provided further that no certificate shall be extended for a period longer than three months, and the ship to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be verified, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new certificate:

Provided also that when the renewal verification is completed, the new certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the expiry date of the existing certificate before the extension was granted.

(7) A certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended under the foregoing provisions, may be extended by the Designated Authority for a period of not exceeding one month from the date of expiry stated on such certificate:

Provided that when the renewal verification is completed, the new certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

- (8) If an Intermediate verification is completed before the period, then —
- (a) the expiry date shown on the certificate shall be amended by endorsement to a date which shall not be more than three years later than the date on which the intermediate verification was completed;
 - (b) the expiry date may remain unchanged provided that one or more additional verifications are carried out so that the maximum intervals between the verifications specified are not exceeded.
- (9) A certificate issued under these rules shall cease to be valid in any of the following cases, namely : —
- (a) if the relevant verifications are not completed within the periods specified under this rule;
 - (b) if the certificate is not endorsed in accordance with the applicable rules;
 - (c) where a company assumes the responsibility for the operation of a ship, not previously operated by that company; and
 - (d) upon transfer of the ship to the flag of another State.
- (10) In case of transfer of a ship from the flag of another contracting government for registration under the Act, such another contracting government shall, as soon as possible, transmit to the Designated Authority copies of, or all information relating to, the International Ship Security Certificate carried by the ship before the transfer and copies of available verification reports.
- (11) In case a company that assumes responsibility for the operation of a ship not previously operated by that company, the previous company shall as soon as possible, transmit to the receiving Company copies of or any information related to the International Ship Security Certificate or to facilitate the verifications provided in this rule.

25. Interim certification. — (1) The certificates issued under rule 23 shall be issued only when the Designated Authority issuing the certificate is fully satisfied that the ship complies with the requirements of the International Ship and Port Facility Security Code and the Safety Convention:

Provided that for the purposes of this sub-rule, until the certificate under rule 23 is issued, the Designated Authority may cause an Interim International Ship Security Certificate to be issued, in the following cases, namely:—

- (a) a ship without a certificate, on delivery or prior to its entry or re-entry into service;
 - (b) transfer of a ship from the flag of a contracting government for registration under the Act;
 - (c) transfer of a ship for registration under the Act, from a State which is not a contracting government; or
 - (d) when a company assumes the responsibility for the operation of a ship not previously operated by that company.
- (2) An Interim International Ship Security Certificate shall only be issued when the Designated Authority or the recognised security organisation has verified the fulfilment of the following particulars, namely: —
- (a) the ship security assessment required by Part A of the International Ship and Port Facility Security Code has been completed;
 - (b) a copy of the ship security plan meeting the requirements of Convention and Part A of the International Ship and Port Facility Security Code is provided on board, has been submitted for review and approval, and is being implemented on the ship;
 - (c) the ship is provided with a ship security alert system meeting the requirements of Safety Convention.
 - (d) the Company Security Officer—
 - (i) has ensured review of the ship security plans for compliance with Part A of the International Ship and Port Facility Security Code;

- (ii) has ensured that the plan has been submitted for approval; and
- (iii) has ensured that the plan is being implemented on the ship; and
- (iv) has established the necessary arrangements, including arrangements for drills, exercises and internal audits, through which the Company Security Officer is satisfied that the ship shall successfully complete the required verification in accordance with sub rule (1) of rule 22, within a period of six months;
- (e) arrangements have been made for carrying out the required verifications under rule 22;
- (f) the master, the Security Officer of the ship and the personnel of other ship with specific security duties are familiar with their duties and responsibilities as specified in Part A of the International Ship and Port Facility Security Code and with the relevant provisions of the ship security plan placed on board; and have been provided such information in English; and
- (g) the Ship Security Officer meets the requirements of Part A of the International Ship and Port Facility Security Code.

(3) An Interim International Ship Security Certificate may be issued by the Designated Authority or by a recognised security organisation.

(4) An Interim International Ship Security Certificate shall be valid for a period of six months, or until the certificate required by these rules are issued, whichever comes first, and may not be extended beyond such period.

(5) The Designated Authority shall not cause a subsequent, consecutive Interim International Ship Security Certificate to be issued to a ship if, in the judgment of the Designated Authority or the recognised organisation or Mercantile Marine Department, one of the purposes of the ship or a Company in requesting such certificate is to avoid full compliance with the Safety Convention and Part A of the International Ship and Port Facility Security Code beyond the period of the initial interim certificate, as required under these rules.

(6) For the purposes of the Safety Convention, the Designated Authority may, prior to accepting an Interim International Ship Security Certificate as a valid certificate, ensure that the requirements of these rules have been met.

26. Suspension or withdrawal of certification.—The Designated Authority may suspend or withdraw the International Ship and Port Facility Security Certificate, in case of the following circumstances, namely: —

- (a) corrective actions are not completed within the stipulated time;
- (b) periodical verification is not completed;
- (c) amendments to International Security and Port Facility Code are not taken into account;
- (d) there is evidence of minor non-conformity or major non-conformity; or
- (e) substantial modification to the ship or port facility Security Management System is not notified to the Designated Authority.

27. Verification and certification for ports. — (1) For issuing a Statement of Compliance to a port facility, the Designated Authority shall carry out an initial verification, by way of the following, namely: —

- (a) review of documents to verify that the security system complies with the International Ship and Port Facility Security Code; or
- (b) conduct audit of a port in order to verify the effective functioning of the port facility security system for at least three months.

(2) The port facility shall carry out an intermediate verification, which shall take place between the second and third annual date of the certificate issued under these rules or, as the case may be, to maintain the validity of such certificate and to verify the following particulars, namely: -

- (a) the effective functioning of the security system;
- (b) compliance of the any modifications of the security management system with the requirements of the International Ship and Port Facility Security Code; and
- (c) satisfactory implementation of any corrective actions

(3) The port facility shall have annual verification for the compliance of the security system in ports.

28. Power to exempt and dispense.— The Designated Authority may allow a particular Indian ship, or port facility, or a group of Indian ships or port facilities, to implement other security measures e equivalent to those provided in these rules:

Provided that such security measures shall be as effective as those provided in these rules:

Provided further that, in such a case, the Designated Authority shall communicate to the International Maritime Organisation.

29. Obligation of ships.— Any ship entering any port in the jurisdiction of India shall provide the information ninety-six hours prior to its arrival in such port in the format provided in Schedule VI.

30. Power to issue directions and guidelines.— Notwithstanding anything contained in these rules, the Designated Authority may issue directions or guidelines to any ship, or company, or port, or any person, or body of persons, to meet the purposes of the Safety Convention or the International Ship and Port Facility Security Code, or these rules.

31. Fees and measure: – (1) Every port, or ship, or company, or person or body of persons to whom these rules apply, shall pay fees and the necessary measure shall be taken in accordance with the scale of fees and measure as specified in Schedule VII.

(2) The fees paid under sub - rule (1) shall not be refunded.

32. Control and compliance measures.—The entry of any ship to which these rules apply or its intention to enter any port, shall be subject to the provisions of regulation- 9 of Chapter – XI -2 of the Safety Convention.

SCHEDULE – I

[See rule 2 (a)]

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE**REQUIREMENT FOR VESSELS ENGAGED ON****INTERNATIONAL VOYAGE, COASTAL VESSELS AND OTHER VESSELS****A. COASTAL VESSELS**

SR. NO	TYPE OF VESSEL	SHIP SECURITY PLAN	SHIP SECURITY OFFICER	COMPANY SECURITY OFFICER	SHIP SECURITY ALERT SYSTEM	SECURITY EQUIPMENT **	AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM	SHIP SECURITY CERTIFICATE	AUDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	COASTAL VESSEL MORE THAN 3000 GT	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (other than Night Vision Binocular	Type A	Yes	INDIAN REGISTRAR OF SHIPPING OR MERCANTILE MARINE DEPARTMENT
2.	COASTAL VESSELS BETWEEN 500 TO 3000 GT	Yes	Yes (Need Not be Certificated but Trained by CSO)	Yes	No	Yes (other Than Night Vision Binocular and Scanner)	Type A	Yes	INDIAN REGISTRAR OF SHIPPING OR MERCANTILE MARINE DEPARTMENT
3.	VESSELS LESS THAN 500GT/ MORE THAN 300 GT.ON THE COAST	Yes	Yes (Need Not be Certificated but Trained by CSO)	Yes	No	No	Type A	Yes	INDIAN REGISTRAR OF SHIPPING OR MERCANTILE MARINE DEPARTMENT
4.	VESSELS BETWEEN 300 GT AND 500 GT IF OPERATING IN IV LIMITS AND VESSEL LESS THAN 300 GT ON COAST	Yes	No	Yes	No	No	No	Yes	INDIAN REGISTRAR OF SHIPPING OR MERCANTILE MARINE DEPARTMENT

Note: - Coastal vessels herein imply those vessels which are not calling at foreign ports and solely operating between ports on the Indian Coast

B. INTERNATIONAL VOYAGE

SR.NO	TYPE OF VESSEL	SHIP SECURITY PLAN	SHIP SECURITY OFFICER	COMPANY SECURITY OFFICER	SHIP SECURITY ALERT SYSTEM	SECURITY EQUIP (As perlist attached)	AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM	INTERNATIONAL/ SHIP SECURITY CERTIFICATE	AUDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Vessel of 500 Gross Tonnage or above on international voyages and passenger ships on International voyages	Yes	Yes	Yes	Yes (With web display facility)	Yes	Type A	International Ship Security Certificate	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department
2.	Vessel \leq 500 Gross Tonnage on international voyages	Yes	Yes	Yes	Yes (without web display)	Yes	Type A	International Ship Security Certificate	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department

C. OTHER VESSELS

SR. NO	TYPE OF VESSEL	SHIP SECURITY PLAN	SHIP SECURITY OFFICER	COMPANY SECURITY OFFICER	SHIP SECURITY ALERT SYSTEM	SECURITY EQUIP (As perlist attached)	AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM	INTERNATIONAL/ SHIP SECURITY CERTIFICATE	AUDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	River Sea Vessel Type IV and \geq 500 Gross Tonnage	Yes	Yes	Yes	Yes (without web display)	Yes	Type A**	Ship Security Certificate	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department
2.	River Sea Vessel Type IV and \leq 500 Gross Tonnage	Yes	Yes (need not be certificated but trained by Company Security Officer)	Yes	No	Yes	Type B	Ship Security Certificate	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department
3.	River Sea Vessel Type III and \geq 500 Gross Tonnage	Yes	Yes (need not be certificated but trained by Company Security Officer)	Yes	No	Yes	Type B	Ship Security Certificate	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department
4.	River Sea Vessel Type III and \leq 500 Gross Tonnage	Yes	No	Yes	No	Yes	Type B	Ship Security Certificate	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department

5.	River Sea Vessel Type II	Yes	No	Yes	No	Yes	Type B	No	Company
6.	River Sea Vessel Type I	Yes	No	Yes	No	Yes	Type B	No	Port or Company
7.	Mechanised Sailing Vessel (MSVs) on international voyage	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Type B	Ship Security Certificate (MSV)	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department
8.	Mechanised Sailing Vessel (MSVs) on international voyage	Yes	No	No	No	Yes	Type B	No	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department
9.	Fishing vessels of 20 meters or above in length	No	No	No	No	No	Type B	No	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department
10.	Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) (propelled or non-propelled)	Yes	Yes	Yes	Yes (without web display)	Yes	Type B	Ship Security Certificate	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department
11.	Accommodation barges	Yes	Yes	Yes	Yes (without web display)	Yes	Type B	Ship Security Certificate	Indian Registrar of Shipping or Mercantile Marine Department

Note 1:- Coastal voyage herein means Indian vessels operating between Indian ports.

Note 2:- Separate Ship Security Certificate for River Sea Vessel is not necessary as this would be included in the Harmonised Certificate for River Sea Vessel

SCHEDULE – II

[See rule 10 (5) (o)]

SECURITY EQUIPMENTS:

** Vessels ≤ 300 gross tonnage may fit or install Automatic identification systems Type A or B.

SR. NO.	Security Equipment	Vessel of 500 gross tonnage or above on international voyage	Vessel ≤ 500 gross tonnage on international voyage	Vessel ≥ 500 gross tonnage on coastal voyage	Vessels ≤ 500 gross tonnage on coastal voyage	Mobile offshore drilling unit	Accommodation Barges	River Sea Vessel Type 1	River Sea Vessel Type 2	River Sea Vessel Type 3	River Sea Vessel Type 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	General Alarm	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.
2.	High Beam Torch	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	1 no.	2 no.	2 no.	2 no.
3.	Batons	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.
4.	Photo Identification card for Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew	All Crew
5.	Flood Light (Fixed or Portable)	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	Not Required	Not Required	2 no.	2 no.
6.	Walkie Talkies	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	Not Required	2 no.	2 no.	2 no.
7.	Whistles	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	4 no.	3 no.	3 no.	3 no.	3 no.
8.	Dog Leg Mirror	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	1 no.	2 no.	2 no.	2 no.
9.	Hand Held Metal Detector	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	2 no.	1 no.	2 no.	2 no.	2 no.
10.	Cable ties	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate
11.	Different code colour passes for visitors	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate	Adequate
12.	Night Vision Binoculars	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	1 no.	Not Required	Not Required	1 no.	1 no.

SCHEDULE – III

[See rule 5 (3)]

Form of a Declaration of Security between a ship and a port facility*

DECLARATION OF SECURITY

Name of Ship:	
Port of Registry	
International Maritime Organization Number	
Name of Port Facility	

This Declaration of Security is valid from until.....for the following activities

.....
(list the activities with relevant details)

under the following security levels

Security levels for the ship	
Security Level(s) for the port facility	

The port facility and ship agree to the following security measures and responsibility to ensure compliance with the requirements of Part A of the International Code for the Security of ships and of Port Facilities.

The affixing of the initials of the Ship Security Officer or Port Facility Security Officer under these columns indicates that the activity will be done in accordance with the relevant approved plan by

Activity	The port facility	The ship
Ensuring the Performance of all security duties		
Monitoring restricted areas to ensure that only authorized personnel have access		
Controlling access to the port facility		
Controlling access to the ship		
Monitoring of the ship, including berthing areas surrounding the ship		

Handling of Cargo		
Delivery of ship's stores		

*This form of declaration of security is for use between a ship and a port facility. If the declaration of security is to cover two ships this model should be appropriately modified.

SCHEDULE IV
[See rules 10 (5) (h) and 22(2)]

Part- A

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY

SECURITY CODE

VERIFICATION SCHEDULE

Type of Verification : Interim or Initial or Renewal or Intermediate or Additional or Follow up*

Name of Vessel :

Date :

Name of Company :

Place

Sr.No.	Time			Function or Department (Including Opening and Closing Meetings)
	From	To	Duration	
1				Opening meeting
2				Document review
3				Audit of ship security officer and Master
4				Verification of security procedure and records
5				Crew interview
6				Drill
7				Verification of physical security illumination and security equipment
8				Closing meeting
9				TOTAL TIME

*Delete as appropriate

Signature of Team Leader

PART-B

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

SHIP : INITIAL or INTERIM or RENEWAL or ADDITIONAL * VERIFICATION REPORT

NAME OF SHIP:	ASSESSED AT: MUMBAI	
DATE:		
TIME/ HOURS:	DAY HOURS:	DARK HOURS:
SHIP'S OPERATIONAL CONDITION DURING		
PORT OF REGISTRY: MUMBAI	GT:	
CALL SIGN:	SHIP TYPE:	
DATE OF BUILD:		
OFFICIAL NO:	INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION NO:	
FLAG:		
COMPANY NAME:		
ISSC/ SSC NO:	ISSUED ON:	VALID TILL:
ISSUED BY: GOVERNMENT OF INDIA		
LAST INTERMEDIATE ENDORSEMENT -----		
TEAM LEADER:	AUDIT DATE(S):	
TEAM MEMBERS:		
ANY NON-COMPLIANCE: YES OR NO /NO. OF NON CONFORMITY'S:		
COPIES OF ALL NON-COMPLIANCES ARE ATTACHED TO THIS REPORT: YES/ NO/ N.A.		
NON CONFORMITY'S CLEARED: YES OR NO OR NOT APPLICABLE		
IF NC'S NOT CLEARED ADDITIONAL VERIFICATION REQUIRED: YES OR NO OR NOT APPLICABLE.		
SUMMARY OF REPORT:		

* Delete as appropriate

(A) Audit of the representative samples of the security system show that the security system is implemented effectively: YES OR NO
--

(B) All security equipment specified in Ship Security Plan complies with applicable requirement: YES OR NO
(C) All security equipment specified in Ship Security Plan is operational and is fit for the service for which it is intended: YES OR NO
ISSC VALID FOR 5 MONTHS PLACED ON BOARD: YES OR NO/ NOT APPLICABLE
RECOMMENDATION:
SIGNATURE OF TEAM LEADER
NAME AND SIGNATURE OF SHIP MASTER OR SHIP SECURITY OFFICER

Note:

- Interim certificate is issued for Coastal vessels and this report is considered as Provisional Ship Security Certificate valid for five months, only when the surveyor recommends issuance of full term certificate.
- Use additional sheets for recommendations, if necessary.

PART-C

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

DATE :

AT :

COMPANY SECURITY OFFICER OR MASTER

TEAM LEADER AUDITOR NOTE:

REPORT ON OPERATIONAL STATUS OF SECURITY EQUIPMENT ON BOARD

SR. NO.	EQUIPMENT IDENTIFICATION	LOCATION AS PER SHIP SECURITY PLAN	OPERATIONAL YES OR NO*	REMARKS
1	GENERAL ALARM			
2	HIGH BEAM TORCH			
3	BATONS			
4	PHOTO ID CARDS			
5	FLOOD LIGHT			
6	WHISTLES			
7	DOG LEG MIRROR			
8	HAND HELD METAL DETECTOR			
9	CABLE TIES			
10	DIFFERENT COLOUR CODE PASSES			
11	NIGHT VISION BINOCULARS			
12.	AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (CLASS A)			

*Ship Security Equipment if fitted is to be tested during the Verification audit

Signature of Auditor

DOCUMENT REVIEW AND VERIFICATION OF RECORDS

LIST OF DOCUMENTS AND RECORDS

TITLE	DATED	REVIEW STATUS	REMARKS*
DOCUMENTS			
APPROVED SHIP SECURITY PLAN			
SHIP SECURITY ASSESSMENT			
CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD ON BOARD AND UPTO DATE			
AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM SURVEY RECORD (LAST SURVEY DATE)			
SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SURVEY DATE			
FLAG STATE NOTICES AND CIRCULARS			
RECORDS			
EXTERNAL VERIFICATION			
PORT STATE CONTROL INSPECTION			
INTERNAL AUDIT REPORT			
NON COMPLIANCE IDENTIFIED BY SHIP/ COMPANY AND CORRECTIVE ACTION APPLIED RELATIVE TO NON COMPLIANCE			
DRILLS AND EXERCISES			
TRAINING			
BREACHES OF SECURITY (INCIDENT REPORTS)			
RECORD OF SECURITY COMMUNICATIONS			
RECORD PROTECTED AGAINST UNAUTHORISED ACCESS			

RECORDS	YES OR NO	REMARKS*
CHANGES IN SECURITY LEVEL		
Communication from Flag State		
Acknowledgement to Flag State		
Communication from Port State (Through Port Facility Security Officer)		
Acknowledgement to Port State (Through Port Facility Security Officer)		
Specific instructions from Flag State		
Specific instructions from Port State		
Hull markings of International Maritime Organization No.		
Periodic review of ship security assessment		
Periodic review of Ship Security Plan		
Maintenance, calibration and testing of Ship Security Alert System (Mandatory) and other security equipment's as in Ship Security Plan		
Declaration of security (if applicable)		

DETAILS OF REMARKS TO BE ENTERED UNDER COMMENTS*

TEAM LEADER'S COMMENTS AND REMARKS AS ABOVE

(Use blank sheets where necessary)

PART-D

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY AUDIT

CHECKLIST

Ship Verification

Interim or Initial or Intermediate or Additional or Final or Follow-up or Renewal Audit*

1. Is approved Ship Security Plan on board:
Yes or No
2. Is Ship Security Plan approved for:
Yes or No
 - a) Limited area operation
 - b) Worldwide operation
3. Request sent to Directorate General Shipping and authorisation for conduct of audit obtained Yes or No
4. Does ship have evidence to show when Ship Security Assessment was carried out? Yes or No
5. Have modifications as recommended in the Ship Security Assessment been carried out?
Yes or No
6. Since when the SSP has been implemented on board
7. Implementation time
8. Less than two months with one Internal Audit, by company
Yes or No/Not Applicable
9. More than two months?
Yes or No / Not Applicable
10. Is the ship's complement on board as per the Ship Security Plan?
Yes or No
11. Will there be substantial amount of crew change during the audit (>25%)?
Yes or No
12. Will the ship be available for verification of illumination during the dark hours?
Yes or No
13. Is the ship in operational condition?
Yes or No
14. Have security drills been carried out?
Yes or No
15. Has the Company Security Officer received security training per Part A 13.1 and Part B 13.2 of INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY Code?
Yes or No

16. Is the ship holding the minimum security equipment as per Directorate General of Shipping circular and approved ship security plan?
Yes or No
17. Is there evidence to show that the Company has intent to put on board the ship security alert system by the applicable date?
Yes or No
18. Outstanding Non conformity's, if applicable, from previous audit
Yes or No/Not Applicable.
19. Periodical audit: Proposed audit dates are within the window period?
Yes or No/ Not Applicable
Renewal audit: Existing International Ship Security Certificate / Ship Security Company expired (If yes, authorization from Directorate General is required
Yes or No/ Not Applicable
20. Delete as appropriate

Directorate General of Shipping

PART-E

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY VERIFICATION LOG

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY

PORT:

DATE:

NAME OF AUDITOR:			
TYPE OF AUDIT: Initial or Interim or Intermediate or Renewal or Additional or Follow up*			
Company name (as in Continuous Synopsis Record): DETAILS OF SHIP VERIFICATION:			
NAME OF SHIP	International Maritime Organization NUMBER	ROLE IN AUDIT (TEAM LEADER OR MEMBER OR SOLE AUDITOR)	TOTAL NUMBER IN THE TEAM
LOCATION OF THE AUDIT: MUMBAI		VERIFICATION BY AUDITEE: (NAME, SIGNATURE, POSITION, STAMP AND DATE)	
DATE:			

* Delete as appropriate

Directorate General of Shipping

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

Non-Compliance Report INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY

Type of verification : INTERIM OR INITIAL OR RENEWAL OR INTERMEDIATE ADDITIONAL*		
COMPANY NAME :		NON CONFORMITY NO:
SHIP NAME:		International Maritime Organization NO:
Department	Section	Date:
Non- compliance <input type="checkbox"/> Security Equipment <input type="checkbox"/> Security System		
INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY Code Reference:		Ship Security Plan Reference:
Auditee/ Ship Security Officer/ Master	Team Leader	Audit Team Member(s)
Corrective Action Report		
Ship Security Officer/ Master:		Proposed Completion Date: Actual Completion Date:
Clearance Report (to be completed by Mercantile Marine Department or Directorate General of Shipping)		Date

SCHEDULE – V
[See rule 23]



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PORTS SHIPPING AND WATERWAYS
MERCANTILE MARINE DEPARTMENT

INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

Certificate Number: Mercantile Marine Department/International Ship Security Certificate

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

Name of Ship:

Indian Maritime Organization Number:

Distinctive number or letters:

Port of registry:

Type of ship:

Gross tonnage:

Name and address of the company:

Company identification no.:

THIS IS TO CERTIFY:

1. that the security system and any associated security equipment of the ship has been verified in accordance with section 19.1 of Part A of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE;
2. that the verification showed that the security system and any associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of chapter XI-2 of the SOLAS Convention and Part A of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE;
3. that the ship is provided with an approved Ship Security Plan.
Date of initial or renewal verification on which the Certificate is based: dd/mm/yyyy
This Certificate is valid until dd/mm/yyyy subject to verifications in accordance with section 19.1.1 of Part A of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE.

Issued at: MUMBAI

Date of issue: (dd/mm/yyyy)

(Place of issue of certificate)

(Signature of the duly authorised official issuing the Certificate)

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PORTS SHIPPING AND WATERWAYS
MERCANTILE MARINE DEPARTMENT

Name of Ship: International Maritime Organization

NO:

Endorsement for intermediate verification

THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate verification required by section 19.1.1 of Part A of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE the ship was found to comply with the relevant provisions of Chapter XI-2 of the Convention and Part A of the INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE.

Intermediate verification

..... official)

(Signature of authorised official)

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for additional verification

Additional verification

Signed:

(Signature of authorised official)

Place:

Date: (Seal or stamp of the authority, as appropriate)

SCHEDULE— VI

[See rule 29]

Pre-arrival Notification of Security for vessel:

This form is to be submitted at least 96 hours prior to the arrival of the vessel

1. Particulars of the Ship and contact details				
		1.1 Name of Ship		
1.2 Port of registry	1.3 Flag State			
1.4 Call sign	1.5 Maritime Mobile Service Identities No.	1.6 Gross tonnage:		
1.7 Name of Owner:				
1.8 24 X 7 hour contact details of Owner Name..... Tel No.....				
2. Port and port facility information				
2.1 Port of arrival and port facility where the ship is to berth, if known				
2.2 Expected date and time of arrival of the ship in port				
2.3 Primary purpose of call : Please specify purpose:				
3. Location of ship at the time report is made Latitude:Longitude:.....orPort.....				
3.1 List the last 5 calls in chronological order with the most recent call first, at port facilities at which the ship conducted ship or port interface together with the security level at which the ship operated				
Sr. No.	Date		Port, Country	Security level
	From	To		
1				
2				
3				
4				
5				
6	A copy of the ship crew and passenger list			

This form is to be submitted at least 96 hours prior to the arrival of the vessel

7	Other security related information
7.1	Is there any security related matter you wish to report? Yes No
7.1.1	If the answer to 7.1 is YES, provide details

SCHEDULE – VII

[See rule 31]

SCALE OF FEES AND MEASURES

SR. NO.	ITEMS	CATEGORY	FEES AND MEASURES
A. SHIPPING COMPANY OR VESSEL: -			
1.	Ship Security Plan	Approval of the Ship Security Plan- Cargo Ship	Rs. 1,25,000.
2.		Approval of the Ship Security Plan-Passenger Ship	Rs. 1,30,000.
3.		Amendment and review of the Ship Security Plan	Rs. 50,000.
4.	Continuous Synopsis Record	Issue of Continuous Synopsis Record	Rs. 50,000.
5.		Amendment to Continuous Synopsis Record	Rs. 25,000.
6.	International or Coastal Ship Security Certificate	Verification audit visit for International or Coastal Ship Security Certificate (per visit)	Rs. 8,000.
7.		Issuance of International or Coastal Ship Security Certificate	Rs. 15,000.
8.		Extension or endorsement of International or Coastal Ship Security Certificate	Rs. 15,000.
9.	Other Fees	Company operating without a qualified Company Security Officer or declaring false name of the Company Security Officer or Alternate Company Security Officer	a) Rs. 5,00,000. b) For repeated non-compliance an additional fee of Rs. 5,00,000 and withdrawal of International or Coastal Ship Security Certificate.
10.		Loss of Ship Security Plan	Rs. 1,00,000. Note: (a.) The Company Security Officer shall make a new Ship Security Plan and change the earlier passwords or code word or contact details or confidential data immediately and report to the Directorate General of Shipping. The Approved Ship Security Plan is to be arranged to be connected expeditiously to the ship; (b.) Fees for the approval of the New Ship Security Plan, in the event of a loss, will be 1.5 times more than normal fees, namely- (i) for Cargo ship- Rs.1,87,500; (ii) passenger ship- Rs.1,95,000.

11.		Withdrawal of International or Coastal Ship Security Certificate	Rs. 8,00,000.
12.		Carrying out an external security audit of Ship beyond the window period and ship sailing with expired International or Coastal Ship Security Certificate	Rs. 3,00,000.
13.		If the company requests for an audit in time (6months before the due date) and recognised	No fee
		Security Organisation is unable to visit the ship for the audit	
14.		Company Security Officer engaged in multiple companies	Rs. 2,50,000.
15.		The ship sailing with an expired International or Coastal Ship Security Certificate	Detention of vessel till production of valid International or Coastal Ship Security Certification and in addition fees of Rs. 800000 to be paid by the owner.
16.		Ship declaring incorrect information such as false port of calls or any other false information in pre- arrival notification of security	Detention of vessel till declaration of correct port of call or correct information with flag endorsement and in addition fees of Rs. 200000 to be paid by the owner.
17.		Ships not maintaining or not possessing Ship Security Equipment	Detention and Rs. 1,00,000. per faulty equipment or missing equipment.
18.		Ships Automatic Identification System found to be fed with false name/ false call sign/ false ship data	Detention of vessel till Ship security equipment is operational or fitted and in addition fees of Rs. 1,00,000 per faulty or missing equipment to be paid by the owner.
19.		Security or stowaway incidents not reported to the Directorate General of Shipping by the Master or Company Security Officer	Rs. 2,00,000.
20.		Internal Security audit not conducted on time	Rs. 1,00,000.
21.		Repeated observation or non-conformity in the next external security audit of the ship	Rs. 2,00,000. followed by an additional external audit after six months.
B. Major Ports and non-Major Ports:-			
22.	Approval of Port Facility Security Assessment	For ports less than 500 M Quay Length	Rs. 50,000.
23.		For ports 500 M to 1000 M Quay Length	Rs. 1,00,000.
24.		For ports above 1000 M Quay Length	Rs. 1,50,000.
25.		For anchorage ports	Rs. 50,000.
26.		For single buoy mooring ports	Rs. 1,00,000.
27.	Approval of port facility security plan	For ports less than 500 M Quay Length	Rs. 1,00,000.
28.		For ports 500 M to 1000 M Quay Length	Rs. 1,50,000.
29.		For ports above 1000 M Quay Length	Rs. 2,00,000.
30.		For anchorage ports	Rs. 1,00,000.
31.		For single buoy mooring ports	Rs. 1,50,000.

32.	Other Fees	Amendment or review of assessment or plan	Rs. 25,000.
33.		Port operating without a qualified Port Facility Security Officer or declaring false name of the Port Facility Security Officer or Deputy Port Facility Security Officer	Rs. 1,00,000.
34.		Port Facility Security Officer found without training certificate from Director General approved institute	Rs. 2,00,000.
35.		Port facilities not addressing or complying within the stipulated time frame on the observations raised during the Port Facility Security Audit	Rs. 2,00,000.
36.		Port not carrying annual or renewal of Port Facility Security audits within window periods	Rs. 2,00,000.
37.		Acting as Port Facility Security Officers for multiple port facilities	Rs. 2,50,000.
38.		Loss of Port Facility Security Assessment or Port Facility Security Plan	Rs. 5,00,000.
39.		Port facility allowing Ships to berth without possession of International or Coastal Ship Security Certificate	Rs. 2,00,000.
40.		Port facility allowing ships with declaration of incorrect pre-arrival notification of Security and not informing to Directorate General of Shipping	Rs. 2,00,000.
41.		Port refusing to exchange Declaration of Security	Rs. 1,00,000.
42.		Security or stowaway incidents not reported to the Directorate General of Shipping by the Port Facility Security Officer or agent	Rs. 2,00,000.
43.		Internal Security audit not conducted on time	Rs. 1,00,000.
44.		Repeated observation or non-conformity in the next external security audit of the port	Rs. 2,00,000 followed by an additional external audit after six months.

[F. No. ST-16011/4/2022-MA]

RAJESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.